मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012–13

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012–13

मंत्री	श्री बाबूलाल गौर
राज्यमंत्री	श्री मनोहर ऊँटवाल
प्रमुख सचिव	श्री एस. पी. एस. परिहार
सचिव	श्री संजय कुमार शुक्ल
उप सचिव	श्री भरत यादव
	श्री के. के. कातिया
अवर सचिव	श्री आर. एस. वर्मा

प्रस्तावना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2012–13 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है ।

(एस.पी.एस.परिहार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2012–13
–: विषय सूची :–

क.	भाग	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	एकः विभागीय संरचना	1. विभागीय संरचना	
		2. नगरीय स्थानीय निकाय	
		3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	
		4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
2.	दोः बजट विहंगावलोकन	1. बजट विहंगावलोकन	
3.	तीन : राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं		
	(अ) राष्ट्रीय योजनाएं	1. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)	
		2. प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल	
		3. एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)	
		4. राजीव आवास योजना (RAY)	
		5. छोटे एवं मझोले नगरो के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)	
		6. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)	
	(ब) राज्य योजनाएं	1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009	
		2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009	
		3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना, 2012	
		4. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	
		5. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना	
		6. एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
	(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	1. एशियाई विकास बैंक सहायतित – शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय)	
		2. मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान)	
	(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम	1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान	
		2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि	
		3. मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)	
		4. मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड	
		5. मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन	
		6. नगर विकास योजना	
		7. रैनबसेरा	

		8. रामरोटी योजना	
		9. सिंहस्थ 2016	
		10. करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना	
		11. प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में शासन की पहल	
	(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं	1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना	
		2. परिभाषित पेंशन अंशदान योजना	
		3. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण योजना	
		4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना	
4	**चार : अन्य प्रशासनिक विषय**	1. विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम	
		2. सूचना प्रौद्योगिकी	
		3. वीडियो कांफ्रेसिंग	
		4. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर	
		5. नगरीय निकायों के निर्वाचन	
		6. विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां, स्थानांतरण, सेवाओं का पुनर्गठन एवं नवीन सेवाओं का गठन	
		7. नगरीय निकायों का अंकेक्षण	
		8. विधि विषयक कार्य	
5	**परिशिष्ट**	**एक** : नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का स्वीकृत प्रशासकीय अमला	
		दो : प्रदेश की नगरीय निकायों की संभाग/जिलेवार सूची	
		तीन : वर्ष 2011–12 का बजट प्रावधान तथा व्यय	
		चार : जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम	
		पांच : जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	
		छह : आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	
		सातः यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	
		आठ : मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	
		नौ : ''परियोजना उदय'' के अंतर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	
		दस : म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवायें कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अंतर्गत संपन्न कार्य	

भाग–एक

विभागीय संरचना

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है:–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन दो उप सचिव तथा एक अवर सचिव पदस्थ हैं।

1.2 विभागाध्यक्ष कार्यालय

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है ।

1.3 संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर उप संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

1.4 राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

1.5 जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

1.6 विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

2. नगरीय स्थानीय निकाय

2.1 प्रदेश में कुल 377 ☆ नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	14
2	नगरपालिका परिषद	100
3	नगर परिषद	263 ☆
	योग	377

इनमें 17 नवगठित नगर परिषदें हैं जहाँ नगरीय निकायों का गठन एवं निर्वाचन प्रक्रियारत है ।

2.2 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहाँ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहाँ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहाँ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011

3.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। इन निकायों के गठन, कार्य संपादन, शक्तियों एवं दायित्वों तथा अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए राज्य विधायिका द्वारा नगरपालिक निगमों के लिये म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों के लिये म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 अधिनियमित किये गये हैं।

3.3 प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी हैं। विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है।

3.4 नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण
(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन, अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय
(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन
(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन
(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम
(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले
(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा कियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं
(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य कियाकलापों में संशोधन
(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनायें तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना
(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही
(12) JNNURM, UIDSSMT, IHSDP, RAY योजनाओं का कियान्वयन
(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का कियान्वयन
(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजना का कियान्वयन
(15) शहरी स्वच्छता मिशन।
(16) म.प्र.शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन
(17) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड का प्रशासन
(18) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन
(19) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना
(20) शहरी अधोसंरचना
(21) शहरी गरीबों के लिये आवास
(22) शहरी पेयजल
(23) आग की रोकथाम
(24) शहरी सुधार कार्यक्रम
(25) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग
(26) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण
(27) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण
(28) नगर विकास योजना तैयार करना

(29) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 471838.93 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2012–13 में जनवरी, 2013 तक कुल रूपये 363370.62 लाख का व्यय किया गया है ।

2. माह जनवरी, 2013 तक उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेत्तर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक) एवं परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है ।

3. विभागीय बजट में आयोजना मद के अंर्तगत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित एशियाई विकास बैंक सहायतित परियोजना तथा डी.एफ.आई.डी. द्वारा वित्त पोषित म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवायें कार्यक्रम के लिए प्रावधान किए गए हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निकायों को देय अनुदान का प्रावधान भी इसी मद के अंतर्गत रखा गया है ।

4. आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्रीकर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं ।

————————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)

1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के 65 बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :–

1. इंदौर
2. भोपाल
3. जबलपुर
4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)

1.2 मिशन के अंतर्गत इन्दौर, भोपाल तथा जबलपुर शहरों के लिये परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्व राज्यांश 20 प्रतिशत एवं निकाय अंश 30 प्रतिशत देय होता है । उज्जैन शहर के लिए 80:10:10 के अनुपात में केन्द्रांश, राज्यांश, निकाय अंश की व्यवस्था रखी गई है ।

1.3 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और सुधार कार्यकमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय परिचालन समिति** गठित है । इसके साथ ही मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय साधिकार समिति** का गठन भी किया गया है ।

1.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जेएनएनयूआरएम के लिए **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है ।

1.5 विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2010 से स्थानीय स्तर पर मिशन के अंतर्गत कार्यो की समीक्षा के लिए सबंधित जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है ।

1.6 भारत सरकार द्वारा मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** अनुमोदित किये गये हैं :–

कमांक	शहर	परियोजना राशि (करोड़ रू. में)
1	इंदौर	2745.75
2	भोपाल	2153.00
3	जबलपुर	1929.00
4	उज्जैन	1237.73

1.7 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक चयनित चार शहरों के लिए रूपये 3347.82 करोड़ की लागत की 49 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। अद्यतन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी लागत निम्नानुसार हैः–

कमांक	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (राशि करोड़ रू.में)
1	इंदौर	14	1030.81
2	भोपाल	22	1563.25
3	जबलपुर	9	607.90
4	उज्जैन	4	145.86
	योग	**49**	**3347.82**

1.8 विभाग के वर्ष 2012–13 के बजट में मिशन मद में रूपये 310.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

1.9 भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है । मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्यवाही जारी है । सुधार कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है ।

1.10 मिशन के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है ।

1.11 मिशन के अंतर्गत स्वीकृत अधोसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग द्वारा ''वाटर एंड पावर कसंलटेंसी सर्विसेज,'' नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) को Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार गरीबों के लिए बुनियादी सेवायें उप–मिशन के अंर्तगत स्वीकृत परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच के लिए ''मेसर्स श्रीखण्डे कन्सलटेंट प्रा.लि.'' नवी मुम्बई को Third Party Independent Review and Monitoring Agencey नियुक्ति किया गया है ।

1.12 प्रदेश के भोपाल एवं इन्दौर शहर में त्वरित एवं स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Bus Rapid Transit System का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत Dedicated Lane में A.C. बसों का संचालन किया जायेगा

जिससे शहर की लोक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा एवं आम नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

1.13 राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मिशन के अंतर्गत प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत बसों की खरीदी हेतु रूपये 193.70 करोड़ लागत से इंदौर में 175, भोपाल में 225, जबलपुर में 75, और उज्जैन में 50 आधुनिक, लो फ्लोर, स्टेट–आफ–आर्ट सिटी बसों का क्रय करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से इन्दौर में 63, भोपाल में 150, जबलपुर में 25 तथा उज्जैन में 39 बसें संचालित हो रही हैं । सितम्बर 2013 तक शेष समस्त बसों का संचालन प्रारंभ हो जायेगा ।

2 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)

2.1 यह योजना भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में माह दिसंबर, 2005 से लागू की गई है । योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए इन बस्तियों का विकास करना है ।

2.2 यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है, जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश, 10 प्रतिशत राज्यांश और 10 प्रतिशत निकाय/हितग्राही के अंश के मापदण्ड पर परियोजनायें स्वीकृत की जाती हैं ।

2.3 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2012 तक रूपये 376.28 करोड़ लागत की 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । स्वीकृत परियोजनाओं के तहत गरीबों के लिए 22,998 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य किये जा रहे हैं ।

2.4 योजना के लिए विभाग के वर्ष 2012–13 के बजट में कुल रूपये 43.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

2.5 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–छह** पर है।

3. राजीव आवास योजना (RAY)

3.1 भारत सरकार, के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों/गरीबों के कल्याण हेतु योजनाबद्ध दृष्टि से मलिन बस्ती मुक्त भारत/राज्य/निकाय बनाने के उद्देश्य से ''राजीव आवास योजना'' लागू की गई है, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैंः–

(1) अधिसूचित/गैर अधिसूचित गंदी बस्ती क्षेत्रों को शहरों की मुख्य धारा में लाना ताकि ऐसे क्षेत्रों में रह रहे लोग भी शहर के शेष नागरिकों की तरह मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सकें ।

(2) औपचारिक व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना जो गंदी बस्तियों के निर्माण का कारण बनती हैं ।

(3) शहरी भूमि और आवास की कमी की उन समस्याओं को दूर करना, जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुंच से बाहर हो गये हैं ।

3.2 राजीव आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 6 शहर (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं जबलपुर) एवं द्वितीय चरण में 10 शहर (देवास, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिन्दवाडा, रीवा एवं नीमच) सम्मिलित हैं ।

3.3 योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के 6 शहरों इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन एवं सागर के **''स्लम फ्री सिटी प्लान''** तैयार कर भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रेषित किये जा चुके हैं । भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर के पायलट प्रोजेक्ट्स की डीपीआर की कुल राशि रूपये 287.54 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

3.4 योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण के 10 शहरों द्वारा निविदा आमंत्रित कर मलिन बस्ती मुक्त कार्य योजना एवं डीपीआर तैयार किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।

3.5 प्रथम चरण के 6 शहरों में कुल 1761 मलिन बस्तीयां चिन्हाकित की गई हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 19,71,344 हैं । इन बस्तियों के उन्नयन, पुनर्विकास एवं पुनर्स्थापन के लिये कुल रूपये 13,756.57 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है ।

4. छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)

4.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझोले नगरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से **यूआईडीएसएसएमटी** योजना प्रारंभ की गई है।

4.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है ।

4.3 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है ।

4.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है ।

4.5 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2013 तक रूपये 1249.31 करोड़ लागत की 49 नगरों की 68 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

4.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है ।

5. स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (SJSRY)

5.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । यह योजना प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में दिनांक 01 दिसम्बर, 1997 से लागू है । भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2009 से योजना के नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार शहरों में गरीबी रेखा का मापदण्ड प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय रूपये 522.64 से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 13,00,000 है ।

5.2 **योजना के प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:–**

(1) **शहरी स्वरोज़गार कार्यक्रम (यूएसईपी)** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोज़गार उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम रूपये 2,00,000.00 की इकाई लागत तक के ऋण प्रकरण बैंको द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं, जिसमें 70 प्रतिशत ऋण बैंकों द्वारा व 25 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रूपये 50,000.00 की अर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है तथा 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही को लगानी होती है ।

(2) **शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिये कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप)** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण देने का प्रावधान है । ट्रेड/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम राशि रूपये 10,000.00 तक व्यय किया जा सकता है । प्रशिक्षण शासकीय/अशासकीय/ स्वयंसेवी संस्थाओं से कराया जा सकता है। प्रशिक्षित हितग्राहियों को आवश्यकतानुसार टूलकिट्स प्रदाय किये जाने का प्रावधान है ।

(3) **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय निकायों के क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का प्रयोग करके मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामग्री और श्रम का अनुपात 60:40 निर्धारित है, जिसमें मटेरियल, लेबर के अनुपात में 10 प्रतिशत (किसी भी तरफ) की छूट दी जा सकती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र हेतु समय–समय पर अधिसूचित, व्याप्त निम्नतम मजदूरी दर लाभार्थी को दी जाती है । वर्तमान में यह कार्यक्रम केवल प्रदेश की नगर परिषदों में लागू है ।

(4) **शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) (ऋण व अनुदान)** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक समूह, कम से कम 5 महिला हितग्राहियों के एक

समूह, को अधिकतम राशि रूपये 3,00,000.00 अथवा रूपये 60,000.00 प्रति हितग्राही अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान, 60 प्रतिशत ऋण तथा 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

(5) **शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) (आवर्ती निधि)** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी–छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने और शहरी गरीब महिलाओं में बचत की आदत डालने के लिये बचत एवं साख समूहों का गठन करने का प्रावधान है । समूह द्वारा एक वर्ष तक नियमित बचत करने पर उन्हें राज्य शासन की ओर से समूह को रूपये 2,000.00 प्रति सदस्य के मान से अधिकतम रूपये 25,000.00 आवर्ती निधि समिति को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि महिलाएं अपनी छोटी–छोटी आकस्मिक आवश्यकताओं का निर्वहन कर सकें ।

(6) **सामुदायिक विकास नेटवर्क (यूसीडीएन) सामुदायिक अवसंरचना, सामुदायिक विकास और अधिकारिता** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरों में समुदाय आधारित संगठनों का सृजन और उनकी भागीदारी को बढावा दिया जाकर स्थानीय सामाजिक गतिविधियों का संचालन करना है । इन संगठनों में पड़ोसी समूह, पड़ोसी समिति तथा सामुदायिक विकास समिति गठित है । इसके अन्तर्गत सामाजिक गतिविधियां/स्वास्थ्य गतिविधियों का संचालन, स्वास्थ्य शिविर, जनजागृति कार्यक्रम, बालवाड़ी का संचालन, बचत एवं साख समिति का गठन, विभिन्न प्रकार के रोजगार मूलक प्रशिक्षणों का संचालन, नुक्कड नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं क्षेत्रीय लोक कला इत्यादि का आयोजन किया जाता है ।

उपरोक्त गतिविधियों में सहयोग और संचालन के लिये सामुदायिक संगठक संविदा पर नियुक्त किये गये हैं ।

5.3 योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 से दिसम्बर, 2012 तक प्राप्त केन्द्रांश, राज्यांश और विमुक्त की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

(रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	प्राप्त राशि			विमुक्त राशि		
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2008–09	4722.97	1574.32	6297.29	4722.97	1574.32	6297.29
2	2009–10	4408.47	1469.49	5877.96	4408.47	1469.49	5877.96
3	2010–11	5914.80	1971.60	7886.40	5914.80	1971.60	7886.40
4	2011–12	5719.08	1906.36	7625.44	5719.08	1906.36	7625.44
5	2012–13	2371.65	790.55	3162.20	2371.65	790.55	3162.20

5.4 शहरी स्व–रोज़गार कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के महत्वपूर्ण घटक है । इन दोनों कार्यक्रमों में वर्ष, 2012–13 में दिसम्बर, 2012 तक की उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि
1	शहरी स्व–रोज़गार कार्यक्रम	8,210
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	27,986

(ब) राज्य योजनाएं

1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

1.1 प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई है। हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों को किरायेदार से मालिक बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत हाथठेला/साइकिल रिक्शा के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हाथठेला की प्रति इकाई लागत राशि रूपये 6,000.00 तथा साइकिल रिक्शा की प्रति इकाई लागत राशि रूपये 10,000.00 रखी गई है ।

1.2 राज्य शासन द्वारा योजना के अन्तर्गत देय अनुदान 25 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रति हितग्राही हाथठेला में रूपये 2,500.00 एवं साइकिल रिक्शा में रूपये 3,500.00 अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत हाथठेला/साइकिल रिक्शा चालकों के परिवार की चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा की जरूरतों के लिये सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है ।

1.3 दिनांक 31.01.2013 तक कुल 73,947 हाथठेला चालकों का सर्वेक्षण कर 32,373 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । इसी प्रकार कुल सर्वेक्षित 14,648 साइकिल रिक्शा चालकों में से 5,253 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

2.1 शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। इसके अर्न्तगत घरेलू कामकाजी बहनों का पंजीयन कर उन्हें प्रदेश में आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है एवं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रूपये 2,000.00 एक मुश्त पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है ।

2.2 इस योजना के अन्तर्गत कामकाजी बहनों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था की गई है । दिनांक 31.01.2013 तक कुल 2,28,893 कामकाजी बहनों का सर्वेक्षण कर 21,925 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

3.1 प्रदेश में शहरी फेरी वालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 में लागू की गई है । योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं । योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 80,000 शहरी फेरी वालों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 71,580 व्यक्तियों को पहचान पत्र दिये गये हैं तथा 1,938 ग्रीन जोन, 940 यलो जोन, 1,046 रेड जोन, 1,675 चलित विक्रय क्षेत्र (मोबाईल जोन) का चिन्हांकन तथा 362 नगर विक्रय समितियों का गठन किया गया है ।

3.2 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रूपये 262.50 लाख का आवंटन हितग्राही मूल घटकों के लिये जिलों को दिया गया है एवं 10,000 फेरी वालों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया गया है । अभी तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कुल 4,046 व्यक्तियों तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले कुल 1,462 व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिये बैंको के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

3.3 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में हाकर्स जोन के स्थल विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य के लिये रूपये 14.00 करोड़ का आवंटन प्रदेश की नगरीय निकायों को योजना में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिया गया है ।

4. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

4.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है । योजना के अन्तर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत् एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत् राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है । शेष 80 प्रतिशत् एवं 70 प्रतिशत् राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत् राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत् नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है ।

4.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी । योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रूपये 132.25 करोड़ नगरीय निकायों को जारी की गई । योजना के अन्तर्गत कुल 63 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–आठ** पर है ।

5. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

5.1 प्रदेश के शहरों में अधोसंरचना विकास के लिये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई है । योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क एवं शहरी यातायात, सौंदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान धरोहर संरक्षण का कार्य कराया जाता है।

5.2 योजना के अंतर्गत प्राथमिकता का आधार नगर निगम, जिला मुख्यालय, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं।

5.3 योजना के प्रथम चरण में कुल लागत रूपये 1428 करोड़ के कार्य प्रस्तावित हैं जिसमें लागत की 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जायेगी, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

5.4 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 174 नगरीय निकायों को कुल रूपये 1195.35 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

6. एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

6.1 इसके अन्तर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्न परियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत् राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत् राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है ।

6.2 एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत नगरीय निकायों को कुल राशि रूपये 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है । तद्नुसार नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	लागत (राशि रू. लाख में)
1	नगरपालिका सेंधवा	जल प्रदाय	2141.74
2	नगर परिषद् डीकेन	जल प्रदाय	558.20
3	नगर परिषद् पृथ्वीपूर	जल प्रदाय	1450.44
4	नगरपालिका दतिया	जल प्रदाय	2225.90
5	नगर परिषद् लटेरी	जल प्रदाय	1052.04
6	नगर परिषद् महेश्वर	जल प्रदाय	1187.00
7	नगरपालिका अलीराजपुर	जल प्रदाय	1337.00
8	नगरपालिका सीहोर	जल प्रदाय	700.00
9	नगर परिषद् गरोठ	जल प्रदाय	1507.00
10	नगर परिषद् सैलाना	जल प्रदाय	486.00
11	नगर परिषद् ब्यौहारी	जल प्रदाय	3100.00
	योग		**15745.32**

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. एशियाई विकास बैंक सहायतित–शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय)

1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में किया जा रहा है। परियोजना के संपूर्ण भौतिक कार्य पूर्ण करने की अवधि दिसम्बर, 2013 तक है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	विवरण	राशि (रू. करोड़ में)
1	एडीबी से प्राप्त ऋण	1154.60
2	मध्यप्रदेश शासन का अंशदान	337.94
3	नगर निगम का अंशदान	261.62
4	यू.एन.हैबीटेट का अंशदान	0.58
	योग	**1754.74**

1.3 परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक कुल रूपये 82.88 करोड़ का व्यय हुआ है । इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत अभी तक कुल रूपये 1122.78 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

1.4 परियोजना क्रियान्वयन के अंतर्गत संपन्न विभिन्न कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	पैकेज की संख्या	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1	कुल प्रस्तावित कार्य	132	1321.07
2	परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा प्रपत्र अनुमोदन	132	1321.07
3	निविदायें आमंत्रित	132	1321.07
4	कार्यादेश जारी	126	1297.33
5	कार्य पूर्ण	99	1078.21
6	कार्य प्रगति पर	25	219.12
7	कार्य आवंटन प्रक्रिया में	06	23.75

1.5 परियोजना में क्रियान्वित मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–नौ** में दिया गया है ।

1.6 क्षेत्र सुधार निधि एवं सामुदायिक पहल निधि के अंतर्गत किये गये कार्य

(1) क्षेत्र सुधार निधि के अन्तर्गत क्षेत्र सुधार संबंधी भौतिक कार्य यथा–जल प्रदाय, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, सी.सी. रोड़, नाली एवं सीवर लाईन आदि के कार्य किये जा रहे हैं ।

(2) सामुदायिक पहल निधि के अन्तर्गत क्षमता वर्धन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आजीविका प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर एवं सामुदायिक भवन संबंधी कार्य किये जा रहे है। इन कार्यो की प्रगति इस प्रकार है :–

1. 65 बस्तियों की डी.पी.आर. का अनुमोदन नगर निगमों से हो चुका है । कुल 133 भौतिक कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें से 41 कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

2. चारो शहरों में कुल 18 सामुदायिक शौचालयों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 7 सामुदायिक शौचालयों का कार्य प्रगति पर है ।

3. इन्दौर व जबलपुर शहरों के लिए 4 जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके है । भोपाल में सी.सी. रोड़, नाली एवं 1 सामुदायिक भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

4. ग्वालियर शहर में मल जल निकासी हेतु नई सीवर लाईन (लगभग 3302 मीटर) 150 एमएम एवं 200 एमएम व्यास की कुल लगभग 2100 मीटर स्टोन वेयर नलिकाओं के प्रदाय, बिछना, जोड़ना एवं लीकेज के लिये टेस्ट करना एवं निर्माण कार्यो हेतु कार्य आदेश जारी होकर कार्य प्रगति पर है । 1276 मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है ।

5. चारो शहरों में कुल 2903 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष का कार्य प्रगति पर है । चारो शहरों में कुल 106 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जा चुके हैं ।

6. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आजिविका प्रशिक्षण का कार्य सभी बस्तियों में प्रगति पर है, जिसमें मुख्यतः वस्त्र निर्माण, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोटर ड्रायविंग, मोबाईल रिपेयरिंग, मेसन एवं प्लम्बर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । प्रशिक्षण के अन्तर्गत कुल 37 बैच पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें 2,638 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत सफलता पूर्वक रोजगार प्राप्त हो चुका है ।

7. सी.आई.एफ. कार्यक्रम के अन्तर्गत जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर शहर की चयनित बस्तियों में गठित सामुदायिक समूह समिति के कुल 273 सदस्यों को 6 बैचो में MEPMA हैदराबाद में शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम संपन्न कराया जा चुका है एवं भोपाल की चयनित बस्तियों में गठित सामुदायिक समूह समिति का शैक्षणिक भ्रमण प्रस्तावित है ।

8. इन्दौर में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से घर–घर से कचरा संग्रहित करना तथा इसका सही प्रबंधन करने का कार्य प्रगति पर है ।

9. चारो शहरों में ए.आई.एफ. में कुल राशि रूपये 876.49 लाख एवं सी.आई.एफ. में कुल राशि रूपये 241.51 लाख जारी किये जा चुके हैं, जिसमें ए.आई.एफ. में रूपये 815.40 लाख एवं सी.आई.एफ. में रूपये 139.13 लाख का व्यय किया जा चुका हैं ।

2. मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (MPUSP) प्रोजेक्ट उत्थान

2.1 मध्यप्रदेश शासन एवं ब्रिटिश सरकार के Department for International Development (DFID) के सहयोग से मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (MPUSP) सितबंर, 2006 से दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश के सभी नगर पालिक निगमों में क्रियान्वित किया गया । परियोजना की अवधि दिसम्बर, 2012 में समाप्त हो गई है ।

2.2 परियोजना के अंतर्गत कुल रूपये 41 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदेश को प्राप्त हुई । इस परियोजना के अन्तर्गत ई–गवर्नेंस,

वित्तीय एवं लेखा संबंधी सुधार, सामाजिक एवं चयनित मलिन बस्तियों में अधोसंरचनात्मक विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये गये ।

2.3 परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. 14 नगर पालिक निगमों की 167 मलिन बस्तियों में अधोसंरचना विकास कार्य समुदाय की सहभागिता के साथ किये गये ।
2. बाल पालिकाओं एवं स्वच्छता दूतों के माध्यम से बस्तियों में निवासरत 72,511 बच्चों तथा किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ रहन–सहन हेतु अभिप्रेरित कर अभियान से जोड़ा गया ।

3. चयनित बस्तियों में 2,048 परिवारों के लिये सामुदायिक भागीदारी से शौचालय इकाईयों का निर्माण कराया गया तथा 13,734 गरीब परिवारों को नल कनेक्शन भी उपलब्ध कराये गये ।

4. ई–गवर्नेंस की दिशा में भोपाल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का क्रियान्वयन कर नगरीय निकायों के सभी कार्यो का एकीकरण किया गया ।

5. नगर पालिक निगम, इन्दौर में आटोमेटिक बिल्डिग परमीशन ऐप्रूवल सिस्टम लागू किया गया ।

6. 16 सर्वसुविधायुक्त नागरिक सुविधा केन्द्र खोले गये तथा प्रमुख शहरों में ट्रेनिंग एवं लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई ।

7. अर्बन सेक्टर मेनेजमेंट एण्ड इनफारमेशन सिस्टम (यूएसएमआईएस) के द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की परियोजनाओं की प्रगति का क्रियान्वयन किया जा सकेगा ।

8. परियोजना के अन्तर्गत सभी 14 नगर पालिक निगमों में बहुउद्देशीय संपत्ति सर्वेक्षण (एमपीएचएस) व जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली का कार्य किया गया । इस प्रणाली से सभी नगर पालिक निगमों में नई संपत्तियों की पहचान हुई है, जिससे निगम की आय में वृद्धि होगी ।

9. सभी नगर पालिक निगमों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू की गई है ।

10. आगामी वर्ष के लिये सेवा स्तर मानकीकरण प्रणाली तैयार की गई ।

11. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीनस्थ नगरीय निकायों के मानव संसाधन के युक्तियुक्तकरण कार्य में सहायता प्रदान की गई तथा निकायों के लिये वित्त, राजस्व, इंजिनियरिंग, कार्यकारी एवं स्वच्छता सेवाओं के गठन हेतु कार्य किया गया ।

12. राजीव आवास योजना के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी मुक्त नगर हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु सहायता प्रदान की गई ।

13. जन निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की पहचान की गई व कियान्वयन हेतु सहयोग प्रदान किया गया ।

14. मानकीकृत दर सूची कम्प्यूटरीकरण व अधिसूचना कार्य में विभाग को सहयोग प्रदान किया गया ।

15. जेएनएनयूआरएम, राजीव आवास योजना एवं अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में वांछित सुधार कार्य (रिफार्म) कार्य किये गये ।

2.4 परियोजना के अन्तर्गत कुल रूपये 267.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई एवं दिनांक 31.12.2012 तक परियोजना की संपूर्ण राशि का व्यय सुनिश्चित किया गया । इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत शत्प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किया गया ।

2.5 परियोजना के अन्तर्गत संपन्न कार्यो का विवरण **परिशिष्ट–दस** पर है ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1)	जनरल बेसिक ग्राण्ट	–	समस्त नगरीय निकायों के लिए
(2)	स्पेशल एरिया बेसिक ग्राण्ट	–	प्रदेश की आदिवासी क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त रूप से

उपरोक्तानुसार अनुदान वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त अनुदान शर्त रहित है, जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए नगरीय निकायें स्वतंत्र है । इसके अतिरिक्त 9 सुधार कार्यक्रमों के लागू करने की शर्त पर परफार्मेस ग्राण्ट भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है । विभाग द्वारा 9 शर्तो की पूर्ति की जा चुकी है ।

1.2 वित्तीय वर्ष 2012–13 में भारत सरकार से जनरल बेसिक ग्राण्ट की राशि रूपये 18320.62 लाख, स्पेशल ऐरिया बेसिक ग्राण्ट रूपये 197.00 लाख एवं परफार्मेस ग्राण्ट रूपये 2744.10 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 21261.72 लाख प्राप्त हुई, जिसे नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया गया ।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है । इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी । उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है ।

2.2 इस निधि में विभाग को आयोजनेत्तर मदों जैसे सड़क मरम्मत, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 20 प्रतिशत भाग पृथक निधि के रूप में रखा जाकर नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये अनुदान एवं 10 प्रतिशत अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये अनुदान दिया जाता है ।
2.3 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये है ।

2.4 वर्ष 2012–13 में 15 फरवरी, 2013 तक इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 56.28 करोड़ एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि रूपये 53.70 करोड़ नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है ।

3. मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/ बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है ।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है ।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''म.प्र. नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है । कंपनी में 26 प्रतिशत अंश राज्य शासन का तथा 74 प्रतिशत अंश निजी क्षेत्र की कंपनी का रखे जाने का प्रावधान है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है ।

4. मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्राण्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड का गठन किया गया है ।

5. मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन

5.1 प्रदेश में स्वच्छता की स्थिति को उन्नत करने के लिये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसे राज्य की समस्त नगरीय

निकायों में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। मिशन हेतु पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूपये 459.44 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित घटकों के लिये अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैः–

1. व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
2. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गैर परंपरागत कम लागत की योजना
5. सूचना शिक्षा संप्रेषण
6. सेप्टेज प्रबंधन एवं उपचारण
7. नगरीय स्वच्छता से जुडा अन्य कोई कार्य जो उपरोक्त के अतिरिक्त हो

मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैः–

<u>व्यक्तिगत शौचालयों को छोड़कर</u>

क्र.	निकाय का प्रकार	राज्य शासन का अनुदान	निकाय अंशदान
1.	नगर परिषद	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	नगर पालिका परिषद	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
3.	नगर निगम (भोपाल एवं इंदौर छोडकर)	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत
4.	नगर निगम (भोपाल एवं इंदौर)	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत

<u>व्यक्तिगत शौचालयों हेतु</u>

क्र.	निकाय का प्रकार	राज्य शासन का अनुदान	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1.	नगर परिषद	80 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	नगर पालिका परिषद	80 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
3.	नगर निगम (भोपाल एवं इंदौर छोडकर)	75 प्रतिशत	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत
4.	नगर निगम (भोपाल एवं इंदौर)	70 प्रतिशत	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत

6. नगर विकास योजना (CDP)

6.1 नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 110 नगरों (14 नगर पालिक निगम, 91 नगर पालिका परिषद एवं 05 नगर परिषद ''पवित्र शहर'') की नगर विकास योजना तैयार की जा चुकी है, जिसे परिषद द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है ।

6.2 वर्ष 2035 को ध्यान में रखते हुए 110 नगरीय निकायों में तैयार की गई नगर विकाय योजना के अनुसार संपूर्ण विकास हेतु कुल रूपये 59,900.00 करोड़ की आवश्यकता का आंकलन किया गया है ।

6.3 विभाग द्वारा सीडीपी के अनुसार कार्य करने के निर्देश नगरीय निकायों, कलेक्टर एवं संभागीय कार्यालयों को जारी किये गये हैं ।

6.4 नगर विकास योजना में चिन्हांकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य ''मुख्यमंत्री शहरी अधोसरंचना विकास योजना'' के अन्तर्गत किया जायेगा ।

6.5 मार्च, 2013 तक शेष 267 नगर परिषदों की नगर विकास योजना तैयार किये जाने का लक्ष्य है ।

7. रैनबसेरा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले शहरी गरीबों के रात्रि विश्राम के लिये रैनबसेरों के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश के 24 बड़े शहरों में रैनबसेरों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं । जिन शहरों में पूर्व से ही रैनबसेरे निर्मित हैं, उन रैनबसरों में आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसे– प्रकाश, पानी, शौचालय, लाकर आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही पुरूष एवं महिलाओं के अलग–अलग रहने की व्यवस्था है । इन 24 शहरों में से ऐसे शहरों में जहॉ रैनबसेरे निर्माणाधीन है, वहॉ अस्थाई रैनबसेरों की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा की गई है ।

8. रामरोटी योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 4 बड़े शहरों क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में रामरोटी योजना चल रही है । इस योजना में रैनबसरों में रात्रि विश्राम करने वाले व्यक्तियों को शाम का भोजन रियायती दर पर रूपये 5.00 में उपलब्ध कराया जा रहा है । योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जा रहा है।

9. सिंहस्थ, 2016

9.1 राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ, 2016 को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये दिनांक 13.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद् समिति का गठन किया गया है तथा सिंहस्थ, 2016 से संबंधित कार्य योजना तैयार करने, निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं सामग्री खरीदी के लिये दिनांक 17.10.2011 को संभागायुक्त उज्जैन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया है ।

9.2 समिति द्वारा सिंहस्थ, 2016 की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा चुकी है । संबंधित विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 161.00 करोड़ मुक्त की जा चुकी है एवं योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है ।

10. करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है । तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों को क्रमशः पृथक–पृथक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिये प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये जायेगें ।

11. प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

11.1 प्रदेश के शहरी क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन के महत्व को देखते हुए मंत्रि–परिषद द्वारा ''शहरी परिवहन'' का विषय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम, में संशोधन किया गया है ।

11.3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन एवं जबलपुर शहरों में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ''Special Purpose Vechical'' के रूप में नगरपालिक निगम के महापौर की अध्यक्षता में सिटी बस कंपनियों का गठन किया गया है ।

11.4 प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात की व्यवस्था हेतु राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति के अनुक्रम में प्रदेश के मिशन शहरों में लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य स्तरीय एकीकृत नगरीय परिवहन परिषद (S-UMTC) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन हैं ।

11.5 प्रदेश स्तर पर S-UMTC के गठन उपरांत शहर स्तर पर भी शहर स्तरीय एकीकृत नगरीय परिवहन परिषद (C-UMTC) के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है । मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC) के गठन उपरांत C-UMTC का गठन किया जायेगा । S-UMTC शहरी लोक परिवहन एवं यातायात के विकास एवं विनियमन हेतु प्रदेश स्तरीय सर्वोच्च साधिकारिता युक्त नीति निर्धारण एजेन्सी होगी । S-UMTC की नीतियों का क्रियान्वयन C-UMTC के माध्यम से किया जायेगा ।

11.6 मास रैपिड ट्रांजिट योजना (MRTS) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इन्दौर शहर में स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के अनुक्रम में Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) से प्री–फीजिबिलिटी सर्वे कराया गया है । DMRC द्वारा किये गये प्री–फीजिबिलिटी सर्वे के आधार पर उभय शहरों हेतु Mas Rapid Transit System (MRTS) की अनुशंसा किये जाने पर विभाग द्वारा भोपाल और इन्दौर के MRTS के लिये DPR बनाये जाने का निर्णय लिया गया है । अगले वर्ष तक उभय शहरों के लिये MRTS हेतु DPR तैयार हो जायेगी ।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये **मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980** बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है ।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है । इस योजना के संचालन के लिये आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक, पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं । संचालनालय स्तर पर **''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज''** के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन निधि की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जाता है । इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी 20 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जाती है ।

1.4 दिनांक 01.11.2010 से नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है । वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 13,082 पेंशनर पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 8.93 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है ।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपादान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है ।

1.6 वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना के अंतर्गत दिनांक 31.01.2013 तक पेंशन के कुल 1025 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें कुल रूपये 20.63 करोड़ का भुगतान किया गया है ।

1.7 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं की पेंशन योजना संचालित कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' लागू की गई है ।

2.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा किया जा रहा है । योजना के अन्तर्गत NSDL (National Securites Depository Limited) मुम्बई द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं ।

2.3 अधिनस्थ कार्यालयों को आवंटित DDO Registration Number के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों को NSDL मुम्बई द्वारा Permanent Retirement Account Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं ।

3. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण योजना

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए माह अक्टूबर, 1987 से ''परिवार कल्याण योजना'' लागू की गई है ।

3.2 इस योजना का संचालन आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर पृथक से निधि का सृजन कर किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों के मासिक अभिदान की राशि निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से कटौती कर इस खाते में जमा की जाती है ।

3.3 **अभिदान राशि का विवरण इस प्रकार हैः–**

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान राशि (रूपयों मे)
1.	प्रथम श्रेणी	160.00
2.	द्वितीय श्रेणी	120.00
3.	तृतीय श्रेणी	100.00
4.	चतुर्थ श्रेणी	60.00
5.	सफाई कामगार	30.00

3.4 उपर्युक्त योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के दावेदार को अधिमान्य क्रम के अनुसार क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000.00 और 30,000.00 का भुगतान किया जाता है । सेवानिवृति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है ।

3.5 वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना के अंतर्गत दिनांक 15.02.2013 तक कुल 963 सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के दावेदारों को कुल राशि रूपये 2.45 करोड़ का भुगतान किया गया है ।

3.6 नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है ।

4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है ।

4.2 वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है । इस प्रकार सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और

दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 1,00,000.00 संबंधित दावेदार को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है ।

4.3 वित्तीय वर्ष 2012–2013 में दिनांक 15.02.2013 तक कुल 121 सफाई कामगारों के प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 56.35 लाख का भुगतान किया गया है।

————

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74 वे संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है । प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है ।

1.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रनिधियों को प्रशिक्षित कर उनमें नगरीय प्रबंधन एवं अभिशासन का समसामायिक ज्ञान एवं कौशल विकसित कर नगरीय सेवाओं को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

1.3 जनप्रतिनिधियों एवं कार्यरत कर्मचारियों में नगरीय परियोजना निर्माण एवं प्रबंधन, संसाधन संवर्धन के वैकल्पिक स्त्रोत, सामुदायिक विकास एवं गरीबी उपशमन, नगरीय संपत्ति एवं सेवाओं पर लगने वाले कर/ शुल्क एवं उपयोगकर्ता शुल्क निर्णय की प्रक्रिया एवं लोक नीति विश्लेषण आदि से संबंधित ज्ञान एवं कुशलता के विकास के लिये निम्नांकित विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है :–

1. विकेन्द्रीकरणः शहरी अभिशासन, विकास एवं लोक सेवाओं में संपूर्ण गुणवत्ता
2. कार्यालय, वित्त एवं कार्मिक प्रबंधन
3. शहरी गरीबी, आवास एवं कौशल उन्नयन
4. नगरों में अधोसंरचना एवं सेवा स्तर का विकास–जन, निजि एवं सामुदायिक भागीदारी
5. परियोजना निर्माण एवं प्रबंधन
6. नगरीय प्रशासन में सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग
7. नगरीय आवश्यक एवं लोक सेवा का प्रबंधन
8. अग्निशमन एवं सुरक्षा
9. नगरीय सुधार कार्यक्रम–राष्ट्रीय, प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से संचलित कार्यक्रम
10. विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नवाचार करने वाले नगरीय निकायों का भ्रमण आयोजित कर लगभग 530 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है ।
11. राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं प्रबंधन से सरोकार रखने वाली शासकीय, अशासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन के लिये भोपाल में राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान (NIGUM) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा संचालनालय, संभागीय कार्यालय और नगरीय निकायों के कम्प्यूटरीकरण का वृहत कार्यक्रम लागू किया गया है । म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अंतर्गत संचालनालय और उसके सभी संभागीय कार्यालयों की कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था कर दी गयी है । इसी प्रकार परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी नगर पालिक निगमों को भी उनकी आवश्यकता का आंकलन करने के बाद कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराये गये हैं ।

2.2 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है । वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है ।

2.3 म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम के सहयोग से विभाग की ई–गर्वनेंस आवश्यकताओं की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है ।

2.4 विभाग द्वारा संचालनालय और बड़े नगर पालिक निगमों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों /कर्मचारियों को मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख सेवायें कार्यक्रम के अंर्तगत कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया है ।

2.5 **नगर पालिक निगम, भोपाल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS)** को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम की समस्त कार्य प्रणाली कम्प्यूट्रीकृत की गई है । उक्त परियोजना लागू होने से नागरिक अपने करों एवं उपभोक्ता प्रभारों का भुगतान ऑन लाईन कर रहे हैं । भविष्य में इस प्रणाली को अन्य बड़े नगरों में भी लागू करने की योजना है ।

2.6 **अरबन सेक्टर मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम (USMIS)** के अन्तर्गत संचालनालय, संभागीय कार्यालयों एवं नगर निगमों को सूचनाओं तथा जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु परस्पर जोड़ा गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को संचालनालय से जोड़ने हेतु डाटाबेस तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रथमतः सभी पेंशनरों का डाटाबेस तैयार किया जाकर अब इस प्रणाली से ही पेंशनरों को पेंशन का वितरण किया जा रहा है ।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

3.1 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है । नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है ।

4. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है । इस प्रक्रिया में नगरीय

निकायों को मुक्त की जाने वाले विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है ।

4.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनो की बचत हुई है । इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है । वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है ।

5. नगरीय निकायों के निर्वाचन

5.1 वर्ष 2012–13 के दौरान प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में स्थित 52 नगरीय निकायों सहित कुल 58 नगरीय निकायों में विद्यमान परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के कारण निर्वाचन संपन्न कराये गये ।

6. विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां, स्थानांतरण, सेवाओं का पुनर्गठन एवं नवीन सेवाओं का गठन

6.1 वर्ष के दौरान राज्य सेवा के किसी भी संवर्ग में नई नियुक्ति नहीं हुई है ।

6.2 वर्ष 2012–13 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संवर्गो में स्वीकृत पदों पर की गई पदोन्नतियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.	पद जिससे पदोन्नति हुई	पदोन्नत किये जाने वाले पद का नाम	कुल पदोन्नत अधिकारियों की संख्या
1	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री	02
2	स्वच्छता निरीक्षक	स्वास्थ्य अधिकारी	18

6.3 वर्ष के दौरान विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कुल 622 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये ।

6.4 प्रदेश में बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत नगरीय निकायों के दायित्वों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिये एवं निकायों के कार्यो की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषज्ञ सेवाओं को प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रशासकीय, यांत्रिकी एवं स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन किया गया है, साथ ही नवीन वित्त सेवा का गठन भी किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	सेवा का नाम	कुल पद संख्या
1	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा	473
2	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय (यांत्रिकी) सेवा	959
3	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा	276
4	मध्यप्रदेश राज्य नगरीय वित्त सेवा	162

6.5 विभाग के अन्तर्गत नगरीय निकायों के लिये नवीन राजस्व सेवा के गठन की कार्यवाही अंतिम चरण में है तथा संचालनालय एवं संभागीय कार्यालयों के पुनर्गठन एवं

नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के आदर्श कार्मिक संरचना की कार्यवाही भी प्रचलित है ।

7. नगरीय निकायों का अंकेक्षण

7.1 नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. द्वारा किया जाता है ।

7.2 वर्ष के दौरान कुल 10,841 अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण किया गया ।

8. विधि विषयक कार्य

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा प्रशासित निम्नांकित अधिनियमों में संशोधन किये गयेः–

8.1 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 167 से 170 तक के उपबंध प्रदेश की समस्त नगर पालिकाओं में लागू किये गये, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 11 मई, 2012 को किया गया है ।

8.2 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 में, उपधारा (6) में, खण्ड (ढ) में शब्द ''माल या'' का लोप किया गया, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 09 जनवरी, 2013 को किया गया है ।

8.3 मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 में, उपधारा (6) में, खण्ड (ढ) में शब्द ''माल या'' का लोप किया गया, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 09 जनवरी, 2013 को किया गया ।

———————

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1.	आयुक्त	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
2.	अपर संचालक	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
3.	संयुक्त संचालक	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
4.	संयुक्त संचालक (वित्त सेवा)	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
5.	उप संचालक	4	–	4	4	–	4	–	–	–	
6.	सहायक संचालक	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
7.	सांख्यिकी अधिकारी	1	–	1	–	–	–	1	–	1	
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
9.	अधीक्षक	2	–	2	1	–	1	1	–	1	
10.	सहायक अधीक्षक	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
11.	वरिष्ठ सहायक	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
12.	लेखा अधिकारी एस. ए.एस	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
13.	लेखा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	–	2	1	–	1	1	–	1	
14.	चुंगी लेखापाल एस. ए.एस.	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
15.	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
16.	निज सहायक ग्रेड–2	2	–	2	–	–	–	2	–	2	पद के विरूद्ध वेतन आहरण
17.	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	5	–	5	5	–	5	–	–	–	
18.	सहायक ग्रेड–1	19	–	19	19	–	19	–	–	–	
19.	लेखापाल	7	–	7	1	–	1	6	–	6	
20.	सहायक ग्रेड–2	15	–	15	12	–	12	3	–	3	
21.	स्टेनोटायपिस्ट	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
22.	सहायक ग्रेड–3	30	–	30	26	–	26	4	–	4	
23.	वाहन चालक	5	2	7	6	–	6	–	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्येत्तर होने से अधिक है ।
24.	दफ्तरी	4	–	4	3	–	3	1	–	1	
25.	भृत्य	16	–	16	8	–	8	8	–	8	

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
26	फर्राश सह चौकीदार	7	—	7	8	—	8	—	—	—	1 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्योत्तर होने से अधिक है ।
27	हेल्पर	1	2	3	1	—	1	—	2	2	
	चौकीदार	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
योगः—		140	5	145	112	0	112	30	5	35	

————————

संभागीय उप संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	प्रतिनियुक्ति से भरे हैं
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
3	सहायक वर्ग–1	21	—	21	17	—	17	4	—	4	
4	लेखापाल	7	—	7	1	—	1	6	—	6	
5	सहायक वर्ग–2	21	—	21	20	—	20	1	—	1	
6	सहायक वर्ग–3	28	—	28	15	—	15	13	—	13	
7	स्टेनो–टायपिस्ट	7	—	7	2	—	2	5	—	5	
8	वाहन चालक	3	—	3	1	—	1	2	—	2	
9	भृत्य	14	—	14	14	—	14	—	—	—	
	योग	115	—	115	80	—	80	35	—	35	

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रंमाक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	प्रमुख अभियंता	1	0	1	
2.	मुख्य अभियंता	1	1	0	
3.	अधीक्षण यंत्री	3	3	0	
4.	कार्यपालन यंत्री	6	4	2	
5.	सहायक यंत्री	6	2	4	
6.	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0	
7.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	3	3	0	
8.	सहायक संचालक	1	1	0	
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	1	0	1	
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	2	0	2	
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	3	10	
12.	सहायक अधीक्षक	1	0	1	
13.	सहायक वर्ग–1	10	0	10	
14.	लेखापाल	1	1	0	
15.	सहायक वर्ग–2	10	0	10	
16.	मानचित्रकार	2	0	2	
17.	स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	
18.	अग्रेंजी टायपिस्ट	1	1	0	
19.	ट्रेसर	1	1	0	
20.	सहायक वर्ग–3/डाटा ऐंट्री आपरेटर	20	7	13	
21.	व्यवस्थापक	1	0	1	
22.	वाहन चालक	17	8	9	
23.	भृत्य	11	7	4	
24.	चेनमेन	1	1	0	
25.	माली	3	1	2	
26.	चौकीदार	3	2	1	
27.	सफाई कामगार	6	2	4	
28.	मॉडलर	2	1	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
29.	पप अटेंडेंट	1	0	1	
30.	इलेक्ट्रिीशियन	1	0	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
31.	वाटरमेन	1	0	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
	योग	132	47	85	

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रंमाक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10	
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10	
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	2	2	0	
4.	सहायक यंत्री	20	9	11	
5.	मानचित्रकार	7	7	0	
6.	ट्रेसर	7	4	3	
7.	सहायक वर्ग–3	14	14	0	
8.	वाहन चालक	7	1	6	
9.	भृत्य	14	14	0	
10.	चौकीदार	8	4	4	
	योग	109	65	44	

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	—''—
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	7	31	—''—
4	आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	—''—
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	—''—
8	सामुदायिक संगठक	388	256	132	संविदा (संविदा पर रूपये 4500 प्रतिमाह)
	योग	**736**	**387**	**349**	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगर पालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	5. करेरा 6. कोलारस 7. खनियाधाना 8. पिछोर 9. बदरवास 10. नरवर 11. बैराड ☆
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	12. चाचौडाबीनागंज 13. आरोन 14. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	15. मुंगावली 16. ईसागढ 17. शाढौरा ☆
	5. दतिया		7. दतिया	18. भांण्डेर 19. इंदरगढ़ 20. सेवड़ा 21. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	22. मेहगांव 23. लहार 24. गोरमी 25. अकोड़ा 26. मिहोना 27. आलमपुर 28. दबोह 29. मौ 30. फूफकलां
	7. मुरैना		10. मुरैना 11. अम्बाह 12. पोरसा 13. सबलगढ.	31. जौरा 32. कैलारस 33. झुण्डपुरा 34. बामौर
	8. श्योपुरकलां		14. श्योपुरकलां	35. विजयपुर 36. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	2. इंदौर		37. देपालपुर 38. सांवेर 39. गौतमपुरा 40. बेटमा 41. राऊ 42. हातौद 43. मानपुर 44. महुगांव

	10. धार		15. धार 16. मनावर 17. पीथमपुर	45. राजगढ़ 46. कुक्षी 47. बदनावर 48. धरमपुरी 49. धामनौद 50. सरदारपुर 51. मांडव 52. डही
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	53. अंजड़ 54. राजपुर 55. खेतिया 56. पानसेमल 57. पलसूद
	12. झाबुआ		20. झाबुआ	58. थांदला 59. पेटलावद 60. रानापुर 61. मेघनगर ☆
	13. अलीराजपुर		21. अलीराजपुर	62. जोबट 63. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24. बड़वाह	64. मण्डलेश्वर 65. कसरावद 66. भीकनगांव 67. महेश्वर 68. करही एवं पांडल्याखुर्द ☆
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	3. खंडवा		69. मूंदी 70. पंधाना 71. ओंकारेश्वर 72. छनेरा
	16.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25. नेपानगर	73. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	74. तराना 75. उन्हेल 76. माकडोन
	18 नीमच		30. नीमच	77. मनासा 78. रामपुरा 79. जावद 80. जीरन 81. रतनगढ़ 82. सिंगोली 83. डिकेन 84. कुकड़ेश्वर 85. नयागांव ☆ 86. अठाना ☆ 87. सरवनिया महाराज ☆
	19. देवास	6. देवास		88. कन्नौद 89. सोनकच्छ 90. खातेगांव 91. हाटपिपल्या

				92. बागली 93. भौरासा 94. करनावद 95. काटाफोड़ 96. लोहारदा 97. सतवास 98. टोंकखुर्द 99. पिपलरंवा 100. नेमावर ☆
	20. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	101. नलखेड़ा 102. मक्सी 103. बड़ौद 104. कानड़ 105. अकोदिया 106. सुसनेर 107. सोयतकलां 108. बड़ागांव 109. पोलायकलां 110. पानखेडी ☆
	21. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	111. ताल 112. सैलाना 113. आलोट 114. नामली 115. बड़ावदा 116. पिपलौदा 117. धामनौद
	22. मंदसौर		35. मंदसौर	118. शामगढ़ 119. सीतामऊ 120. पिपल्यामंडी 121. नारायणगढ़ 122. मल्हारगढ़ 123. भानपुरा 124. नगरी 125. गरोठ 126. सुवासरा
5. भोपाल	23. भोपाल	8. भोपाल	36. कोलार 37. बैरसिया	
	24. सीहोर		38. सीहोर 39. आष्टा	127. इछावर 128. बुदनी 129. जावर 130. नसरूल्लागंज 131. रेहटी 132. कोठरी 133. शाहगंज
	25. रायसेन		40. रायसेन 41. बेगमगंज 42. मण्डीदीप	134. औबेदुल्लागंज 135. सुल्तानपुर 136. बरेली 137. बाड़ी 138. सांची 139. उदयपुरा

				140. सिलवानी 141. गैरतगंज
	26. विदिशा		43. विदिशा 44. गंज बासौदा 45. सिरोंज	142. कुरवाई 143. लटेरी 144. शमशाबाद
	27. राजगढ़		46. राजगढ 47. नरसिंहगढ़ 48. सारंगपुर 49. ब्यावरा	145. जीरापुर 146. कुरावर ☆ 147. खिलचीपुर 148. तलेन 149. बोड़ा 150. खुजनेर 151. पचोर 152. सुठालिया 153. माचलपुर 154. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	28. होशंगाबाद		50. होशंगाबाद 51. इटारसी 52. सिवनीमालवा 53. पिपरिया	155. बाबई 156. सोहागपुर
	29. हरदा		54. हरदा	157. टिमरनी 158. खिड़किया
	30. बैतूल		55. बैतूल 56. आमला 57. सारणी 58. मुलताई	159. बैतूल बाजार 160. भैंसदेही 161. आठनेर 162. चिचोली
7. सागर	31. सागर	9. सागर	59. बीना इटावा 60. खुरई 61. गढ़ाकोटा 62. रेहली 63. देवरी	163. राहतगढ़ 164. बंडा 165. शाहपुर 166. शाहगढ
	32. दमोह		64. दमोह 65. हटा	167. तेंदुखेड़ा 168. पथरिया 169. हिन्डोरिया 170. पटेरा ☆
	33. पन्ना		66. पन्ना	171. अमानगंज 172. देवेन्द्र नगर 173. अजयगढ़ 174. ककरहटी 175. पवई
	34. छतरपुर		67. छतरपुर 68. नौगांव 69. महाराजपुर	176. धुवारा 177. सटई 178. बारीगढ़ 179. बिजावर 180. गढ़ीमल्हरा 181. बक्सवाहा 182. चंदला 183. बड़ामल्हरा 184. हरपालपुर 185. लवकुशनगर

				186. खजुराहो 187. राजनगर
	35. टीकमगढ़		70. टीकमगढ़	188. निवाड़ी 189. पृथ्वीपुर 190. बल्देवगढ़ 191. खरगापुर 192. पलेरा 193. जैरोनखालसा 194. तरीचरकलां 195. जतारा 196. लिधोराखास 197. बड़ागांव 198. कारी 199. ओरछा
8. रीवा	36. रीवा	10. रीवा		200. बैंकुंठपुर 201. मउगंज 202. त्यौंथर 203. हनुमना 204. चाकघाट 205. गोविन्दगढ. 206. नईगढ़ी 207. सिरमौर 208. मनगवां 209. सेमरिया 210. गुढ़
	37. सीधी		71. सीधी	211. चुरहट 212. रामपुरनेकिन 213. मझोली
	38. सिंगरौली	11.सिंगरौली		
	39. सतना	12.सतना	72. मैहर	214. नागौद 215. बिरसिंहपुर 216. जैतवारा 217. कोटर 218. कोठी 219. अमरपाटन 220. रामपुर–बघेलान 221. उचेहरा 222. चित्रकूट 223. न्यू रामनगर ☆
9. शहडोल	40. शहडोल		73. शहडोल 74. धनपुरी	224. बुढ़ार 225. ब्यौहारी 226. जयसिंहनगर 227. खाण्ड
	41.अनूपपुर		75. अनूपपुर 76. कोतमा 77. पसान 78. बिजूरी	228. जैतहरी 229. अमरकंटक
	42. उमरिया		79. उमरिया 80. पाली	230. चंदिया 231. नौरोजाबाद

	43. डिण्डोरी			232. डिण्डोरी 233. शाहपुरा
10. जबलपुर	44. जबलपुर	13. जबलपुर	81. पनागर 82. सिहोरा	234. बरेला 235. भेड़ाघाट 236. शाहपुरा 237. पाटन 238. मझौली 239. कटंगी
	45. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		240. बरही 241. कैमोर 242. विजयराधवगढ़
	46. बालाघाट		83. बालाघाट 84. वारासिवनी 85. मलाजखंड	243. कटंगी 244. बैहर 245. लांजी
	47 छिन्दवाड़ा		86. छिन्दवाड़ा 87. पांढुर्ना 88. जुन्नारदेव जामई) 89. डोगर परासिया 90. दमुआ 91. चौरई 92. अमरवाड़ा 93. सौंसर	246. हर्रई 247. लोधीखेड़ा 248. न्यूटन चिखली 249. चांदामेटा बुटारिया 250. मोहगांव 251. बडकुही 252. पिपलानारायणवार 253. बिछुआ ☆ 254. चांद ☆
	48 नरसिंहपुर		94. नरसिंहपुर 95. गाडरवारा 96. करेली 97. गोटेगांव	255. तेंदूखेड़ा 256. सालीचौका ☆ 257. सांईखेडा ☆ 258. चीचली ☆
	49. सिवनी		98. सिवनी	259. लखनादौन 260. बरघाट
	50. मंडला		99. मंडला 100. नैनपुर	261. बम्हनीबंजर 262. निवास 263. बिछिया

नगर पालिक निगम	**14**
नगरपालिका परिषद	**100**
नगर परिषद	**263**
योग	**377**

☆ नवगठित 17 नगर परिषदें जहॉ निकाय के गठन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है ।

परिशिष्ट–तीन (एक)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2012–13 का बजट प्रावधान तथा व्यय

(आयोजना) (रूपये लाख में)

मांग संख्या	शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012–13 के लिये बजट प्रावधान				व्यय दिनांक 01.04.2012 से 31.01.2013 तक			
				सामान्य	एससी एसपी	टीएसपी	योग	सामान्य	एससीएसपी	टीएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केंद्र प्रवर्तित योजनायें											
22	2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय	71.26	0.00	0.00	***71.26***	60.38	0.00	0.00	***60.38***
75	2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	2117.00	321.00	107.00	***2545.00***	1587.75	240.75	80.25	***1908.75***
75	2217	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	6154	राजीव आवास योजना	3844.05	510.00	90.00	***4444.05***	3844.05	510.00	90.00	***4444.05***
75	2217	6297	जलप्रदाय योजना के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	***0.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***

बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं											
22	2217 4217 6217	7905 / 7986	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास	15350.01	3749.00	0.00	***19099.01***	6637.64	1609.38	0.00	***8247.02***
22	2217	7321	म.प्र. अर्बन सर्विसेस फॉर पुअर	7045.01	1455.00	0.00	***8500.01***	5740.95	1190.12	0.00	***6931.07***
केंदीय अंशदान प्राप्त योजनाएं											
75	2217	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	24565.00	5475.00	970.00	***31010.00***	12270.89	2712.81	481.09	***15464.79***
75	2217	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	3010.00	1075.00	215.00	***4300.00***	531.53	65.00	22.00	***618.53***
राज्य योजनायें											
75	2217	6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	10.00	0.00	0.00	***10.00***	3.00	0.00	0.00	***3.00***
75	2217	179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	0.00	78.40	0.00	***78.40***	0.00	78.40	0.00	***78.40***

75	2217	5726	म.प्र.शहरी अधोसरंचना कोष	100.00	0.00	0.00	***100.00***	100.00	0.00	0.00	***100.00***
75	2217	5864	हाथ ठेला एवं सायकल रिक्शा कल्याण योजना	500.00	0.00	0.00	***500.00***	500.00	0.00	0.00	***500.00***
22	2217	6008	ऐम्स क्षेत्रों के नालो का डायवर्शन	100.00	0.00	0.00	***100.00***	100.00	0.00	0.00	***100.00***
22	2217	6022	मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे	200.00	0.00	0.00	***200.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
22	2217	8163	नगर विकास योजना	705.32	63.11	31.57	***800.00***	528.99	47.34	23.68	***600.01***
75	2217	6024	शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना	410.00	340.00	0.00	***750.00***	160.00	340.00	0.00	***500.00***
22	2217	6028	आइ. एल. सी.एस (राज्यांश)	90.00	0.00	0.00	***90.00***	0.21	0.00	0.00	***0.21***
22	2217	6028	आइ. एल. सी.एस (केन्द्रांश)	445.44	0.00	0.00	***445.44***	140.05	0.00	0.00	***140.05***
75	2217	6221	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	29807.88	2950.00	590.00	***33347.88***	26550.17	2950.00	590.00	***30090.17***

22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये अनुदान	10500.00	0.00	0.00	***10500.00***	10500.00	0.00	0.00	***10500.00***
75	2217	6298	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2010	500.00	0.00	0.00	***500.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	7056	अग्निशमन सेवायें	1335.12	0.00	0.00	***1335.12***	311.97	0.00	0.00	***311.97***
22	2217	7145	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम	10580.00	2248.00	397.00	***13225.00***	10500.00	2248.00	397.00	***13145.00***
22	2217	7144	मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम	2856.27	448.75	89.75	***3394.77***	2156.60	358.62	70.93	***2586.15***
22	2217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	40.00	0.00	0.00	***40.00***	40.00	0.00	0.00	***40.00***
22	2217	7146	मुख्यमंत्री अधोसंरचना कार्यक्रम	9380.00	2395.00	725.00	***12500.00***	9380.00	2395.00	725.00	***12500.00***
75	2217	7148	अयोध्या बस्ती का विकास	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	7171	शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (हितग्राही मूलक)	262.50	0.00	0.00	***262.50***	262.50	0.00	0.00	***262.50***
75	2217	7172	शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (अधोसंरचना	1400.00	0.00	0.00	***1400.00***	1400.00	0.00	0.00	***1400.00***

			विकास)								
75	2217	5368	अर्बन स्टेटिक्स फॉर एच आर एण्ड असेसमेंट (उषा)	85.20	0.00	0.00	***85.20***	85.20	0.00	0.00	***85.20***
22	2217	7046	झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास	40.00	0.00	0.00	***40.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
22	2217	7239	म.प्र. अर्बन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड इनवेस्ट प्रोग्राम	4307.00	0.00	0.00	***4307.00***	7.81	0.00	0.00	***7.81***
22	2217	7029	राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान	50.00	0.00	0.00	***50.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
22	2217	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम	6.27	0.00	0.00	***6.27***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
22	2217	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे अध्ययन	150.00	0.00	0.00	***150.00***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
			योग	**129863.35**	**21108.26**	**3215.32**	**154186.93**	**93399.69**	**14745.42**	**2479.95**	**110625.06**

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2011–12 का बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय

(आयोजनेत्तर) (रूपये लाख में)

मांग संख्या	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम		वित्त विभाग से प्राप्त आवंटन 2012–13	व्यय दिनांक 31.01.2012 तक
1	2	3	4	5	6	7
22	2217	2122	पेंशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय)		96.93	80.77
22	2217	6148	वेतन भत्ते संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय		854.15	711.79
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)		2.30	2.30
	2217	5831	म.प्र.सफाई कामगार आयोग का गठन		17.44	12.44
22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान		0.01	0.00
22	2217	3383	विशेष मरम्मत भवन		0.01	0.00
			योग मांग संख्या 22		**970.84**	**807.30**
75	2215	0523	प्रदेश की जलप्रदाय योजनाओं की स्थापना –वेतन आवंटन पी.एच.ई. को दिया गया।		1642.72	820.32
				योग	**1642.72**	**820.32**
75	2215	0545	प्रदेश के जलप्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण वेतन आवंटन पी.एच.ई. को दिया गया।		7172.53	4129.90
				योग	**7172.53**	**4129.90**
75	2215	5300	स्थानीय संस्थाओं की जलप्रदाय योजनाओं का संधारण मजदूरी आवंटन पी.एच.ई. को दिया गया।		2837.50	1939.83
				योग	**2837.50**	**1939.83**
75	2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना का संधारण	**नगर निगम**	2215.54	2215.54
				नगर पालिका	219.11	219.11

				नगर परिषद्	44.58	44.58
				योग	**2479.23**	**2479.23**
75	3604	8017	सडक मरम्मत	**नगर निगम**	5147.00	4117.60
				नगर पालिका	3675.50	3391.01
				नगर परिषद्	2487.50	2451.62
				योग	**11310.00**	**9960.23**
75	3604	8018	चुगी क्षतिपूर्ति प्रवेश कर	**नगर निगम**	81790.39	70962.64
				नगर पालिका	46427.11	36032.19
				नगर परिषद्	33282.50	27773.70
				योग	**161500.00**	**134768.53**
75	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों हस्तांतरण	**नगर निगम**	24574.50	19682.91
				नगर पालिका	17549.00	15198.24
				नगर परिषद्	11876.50	9436.44
				योग	**54000.00**	**44317.59**
75	3604	3217	अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दण्ड की वसूली		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भारित		13200.00	11694.90
				योग	**13200.00**	**11694.90**
75	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजना के लिये विद्युत व्यय की पूर्ति	**नगर निगम**	1000.00	0.00
				नगर पालिका	0.00	0.00
				नगर परिषद्	0.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	**नगर निगम**	1000.00	0.00
				नगर पालिका	0.00	0.00
				नगर परिषद्	0.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	7668	स्थानीय निकायों मुलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	**नगर निगम**	2562.00	1711.83
				नगर पालिका	6832.00	6414.97
				नगर परिषद्	7687.00	5136.21

				योग	**17081.00**	**13263.01**
75	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	**नगर निगम**	2340.36	1950.30
				नगर पालिका	3878.04	3231.70
				नगर परिषद्	2781.60	1318.00
				योग	**9000.00**	**7500.00**
75	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज		1650.00	0.00
				योग	**1650.00**	**0.00**
75	2217	6244	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	**नगर निगम**	8572.00	8419.89
				नगर पालिका	6127.00	5960.97
				नगर परिषद्	4154.00	3939.76
				योग	**18853.00**	**18320.62**
75	2217	6226	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	**नगर पंचायत**	394.20	0.00
				योग	**394.20**	**0.00**
75	2217	6551	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	**नगर निगम**	5883.00	1261.13
				नगर पालिका	4205.00	884.60
				नगर परिषद्	2852.00	598.37
				योग	**12940.00**	**2744.10**
75	2217	6552	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान	**नगर निगम**	0.00	0.00
				नगर पालिका	264.34	0.00
				नगर परिषद्	131.62	0.00
				योग	**395.96**	**0.00**
75	2217	6310	निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	2217	6602	स्थानीय निकायों /पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु	**नगर निगम**	50.00	0.00
				नगर पालिका	100.00	0.00

			प्रोत्साहन अनुदान	**नगर परिषद्**	75.00	0.00
				योग	**225.00**	**0.00**
				योग	**316681.16**	**251938.26**
				महायोग	**317652.00**	**252745.56**

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम

जेएनएनयूआरएम का मूल उद्देश्य शहरी शासन एवं सेवा में सुधार लाने को सुनिश्चित करना है, ताकि नगरीय निकाय वित्तीय रूप से मजबूत बन सके एवं नये कार्यक्रम का जिम्मा लेने के लिए सतत् कार्य कर सकें। यह उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि सुधार चार्टर जिनका पालन राज्य सरकारों एवं नगरीय निकायों के द्वारा किया जाना है, जन निजी भागीदारी के तहत कार्य कराये जाने को विशेष महत्व दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेण्डा नीचे दिया गया है । चिन्हित हुए सुधारों में नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप (एनएसजी) अतिरिक्त सुधारों को जोड़ सकता है । केन्द्रीय सहायता पाने के लिए पूर्व अपेक्षित राज्य/नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसियों एवं भारत सरकार के बीच इस सुधार की प्रत्येक मद के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है ।

1. अनिवार्य सुधार

नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल में आधुनिक एक्रुअल आधारित द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाना ।

(ख) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेसियों द्वारा प्रदान विभिन्न सेवाओं के लिए जी. आई.एस. एवं एम.आई.एस. को उपयोग में लाते हुए ई–गवर्नेंस प्रणाली का परिचय ।

(ग) जी.आई.एस. सहित संपत्ति कर सुधार । भावी प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकाय द्वारा इसको राजस्व का व्यापक स्त्रोत बनाया जा सकता है, ताकि संग्रहण प्रणाली को सात वर्षो की अवधि में कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके ।

(घ) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल के द्वारा समुचित उपयोगकर्ता प्रभार की उगाही इस उद्देश्य के साथ कि संधारण–संचालन की पूर्ण लागत एवं रिकरिंग लागत का संग्रहण सात वर्षो की अवधि के अन्दर किया जाता है, तथापि, उत्तरपूर्णी एवं विशेष श्रेणी के राज्य के कस्बों एवं शहर प्रारंभिक तौर पर संधारण–संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल कर सकते हैं । ये शहर एवं कस्बे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण संधारण– संचालन लागत वसूली जुटा सकते है ।

(ड) शहरी गरीब को मूलभूत सुविधाएं स्थानीय निकायों में आंतरिक पहचान बजट,

(च) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए वहनीय मूल्यों पर प्रतिभूति की अवधि, सुधार आवास, जल आपूर्ति एवं सरकार की विद्यमान अन्य यूनिवर्सल सेवाओं के प्रदाय को सम्मिलित करते हुए शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान ।

2. राज्यों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए अनुसार विकेन्द्रीकरण साधनों का क्रियान्वयन । राज्य नागरिकों को सेवाओं के वितरण के साथ–साथ पैरास्टेटल एजेंसियों के कार्य की योजना में नगरीय निकाय के संयोजन एवं अर्थ पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करें ।

(ख) अर्बन लेण्ड सीलिंग रेग्यूलेशन एक्ट ।

(ग) भूमि स्वामी एवं किरायेदारों के हित को बनाए रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार ।

(घ) सात वर्षो की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का युक्तियुक्तकरण ।

(ड) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान की तैयारी को सुनिश्चित करने संबंधी सार्वजनिक प्रकटन कानून अधिनियम ।

(च) नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समुदाय भागीदारी कानून अधिनियम एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा की धारणा का परिचय देना ।

(छ) सात वर्षो की अवधि में ''शहरी योजना कार्य नगरीय निकायों को अंतरित करना या उनको लागू करने मे निकायों को भागीदार बनाना।

टिप्पणी– जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सामान्य जनता उन्मुख योजनाओं के संबंध में नीचे दिए गए राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के रूप में लिया जा सकता है :

(क) शहरी भूमि सीमा एवं नियमन अधिनियम
(ख) किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार

3. वैकल्पिक सुधार (राज्यों, नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के लिए सामान्य)

(क) भवनों, स्थल विकास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपविधिकों में संशोधन ।

(ख) कृषि, गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के परिवर्तन हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क का सरलीकरण ।

(ग) नगरीय निकाय में संपत्ति हक प्रमाणन का परिचय ।

(घ) क्रास सब्सिडी की व्यवस्था सहित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों एजेंसियों के लिए) में विकसित भूमि को कम से कम 25–25 प्रतिशत तक चिन्हित करना ।

(ड) भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया लागू करना।

(च) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण साधनों को अपनाने के लिए उपविधियों में संशोधन ।

(छ) चक्रित जल के पुनः प्रयोग हेतु उपविधियॉं ।

(ज) प्रशासनिक सुधार अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), सेवानिवृत्ति आदि की वजह से खाली पदों का न भरा जाना एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्य अपना कर मूलभूत लागतों में कटौती करना ।

(प) ढॉंचागत सुधार

(पप) जन निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

टिप्पणीः जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में शहर अपने क्रियान्वयन में वैकल्पिक श्रेणी के किन्ही भी सुधारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

––0––

परिशिष्ट–पांच

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

स. क.	उपमिशन	वर्ष	शहर / कियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत (रू.लाख में)
1	**शहरी अधोसंरचना एवं सु–शासन**	**2005–06**	न.नि. भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2		''	न.नि. इंदौर	यशवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
3		**2006–07**	न.नि. भोपाल	नाला निर्माण (स्टार्म वाटर ड्रेन चेनेलाईजेशन आफ नाला)	3057.00
4		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्क्रेप मार्ट	811.00
5		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एम. पी. नगर	1894.00
6		''	न.नि. भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	23776.00
7		''	न.नि. इंदौर	बी.आर.टी.एस. (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
8		''	न.नि. इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
9		''	न.नि. इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
10		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फ्राम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
11		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम. आर. 9	3974.64
12		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–1	7801.00
13		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–2	7081.00
14		**2007–08**	न.नि.इंदौर	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	4324.66
15			न.नि.भोपाल	नर्मदा वाटर सप्लाई फेस–1	30604.16
16			इंदौर विकास प्राधिकरण	आर.ओ.बी. एट जूनी इंदौर रेल्वे क्रांसिग	631.00
17			न.नि.उज्जैन	रीआर्गनाईजेशन आफ वाटर सप्लाई सिस्टम	6686.44
18		**2008–09**	न.नि.भोपाल	वाटर सप्लाई डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क आफ भोपाल म्युनिसिपल एरिया	41545.64
19			न.नि.इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ मल्टी लेवल पार्किंग एट 20 डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर सिटी	5600.00
20			न.नि. जबलपुर	रिहेबिलिटेशन आफ एक्सिस्टिंग पंपिंग स्टेशन एट रांझी फगुआ एंड कंस्ट्रक्शन आफ न्यू पंपिंग स्टेशन एट भोगेदवर डब्ल्यूटीपी	1406.00
21			न.नि.भोपाल	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	8875.00
22			न.नि.इंदौर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	5975.00
23			न.नि.जबलपुर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	3100.00
24			न.नि. उज्जैन	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	1420.00
25		**2009–10**	न.नि.जबलपुर	इन्टीग्रेटेड स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम इनक्लूडिंग ओमतीनालाद्ध	32649.00
26			न.नि. उज्जैन	रिस्टोरेशन एंड कन्जरवेशन फार महाकाल एंड गोपाल मंदिर विरासत क्षेत्र (हेरीटेज प्रोजेक्ट)	4739.00
27		**2010–11**	न.नि. इंदौर	रिवर साईड कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऑफ बीआरटीएस	18000.00
				योग (अ)	**264355.23**
28	**शहरी गरीबों के लिए**	**2005–06**	न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर	1600.00

	बुनियादी सेवाएं			स्लम	
29			न.नि.भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	253.74
30			न.नि.भोपाल	स्लम रीहेबिलीटेशन आफ रोशनपुरा	4714.74
31			न.नि.भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
32		**2006–07**	न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–1	3950.01
33			न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–2	4111.13
34			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
35			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ गंगा नगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
36			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी, राहुल नगर	5263.29
37			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस –1	1710.20
38			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस–2	1342.87
39			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेई नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, माता मढ़िया एंड बेलार कालोनी	5083.80
40			इंदौर विकास प्राधिकरण	स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134	1242.40
41			न.नि. इंदौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर	6193.15
42			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (लालकुआं)	2472.00
43			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्राक्स्ट्रक्चर (बागरा दफाई)	2314.00
44			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्क्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
45			न.नि. जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांइड बोर्न कंपनी	1424.00
46		**2007–08**	न.नि. उज्जैन	स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम	1740.91
47		**2008–09**	भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –1	5568.00
48			भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –2	4676.00
49			न.नि. इंदौर	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम	8153.00
				योग (ब)	**70426.94**
				कुल योग (अ+ब)	**334782.17**

परिशिष्ट–छह

आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

स. क.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	विदिशा	आवास निर्माण अधोसंरचना	217	184.98
2.	गंजबासौदा	आवास निर्माण अधोसंरचना	110	170.51
3.	सिरोंज पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	114	160.95
4.	सिरोंज पार्ट 2	मूलभूत अधोसंरचना	–	18.89
5.	लटेरी	मूलभूत अधोसंरचना	–	44.87
6.	ग्वालियर	आवास निर्माण अधोसंरचना	4576	5362.02
7.	देवास पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1216	1715.32
8.	देवास पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	1384	1932.57
9.	खंडवा पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1296	1738.39
10.	खंडवा पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	812	1073.96
11.	दमोह	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	229.83
12.	बालाघाट	आवास निर्माण अधोसंरचना	966	1297.95
13.	बैरसिया	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	174.80
14.	कुरवाई	आवास निर्माण अधोसंरचना	48	95.91
15.	कटनी	आवास निर्माण अधोसंरचना	2182	2918.14
16.	नरसिंहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	651	839.88
17.	मझौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	215.31
18.	बरेला	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	225.47
19.	पाटन	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	227.52
20.	शाहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	153.89
21.	देपालपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	399.81
22.	पानसेमल	आवास निर्माण अधोसंरचना	128	293.87
23.	खुजनेर	आवास निर्माण अधोसंरचना	100	241.25
24.	बेटमा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	313.94
25.	गौतमपुरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	395.70
26.	कटंगी	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	249.98
27.	पेटलावद	आवास निर्माण अधोसंरचना	240	342.33
28.	इटारसी	आवास निर्माण अधोसंरचना	153	363.53
29.	मण्डीदीप	आवास निर्माण अधोसंरचना	202	330.59
30.	होशंगाबाद	आवास निर्माण अधोसंरचना	297	517.55
31.	ओरछा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	344.73
32.	बुरहानपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	833	1365.85
33.	जावरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	167	247.73
34.	सागर	आवास निर्माण अधोसंरचना	480	777.07
35.	छिन्दवाड़ा	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	742.00
36.	मोहगांव	आवास निर्माण अधोसंरचना	267	616.38
37.	सौंसर	आवास निर्माण अधोसंरचना	461	712.52
38.	हर्रई	आवास निर्माण अधोसंरचना	139	339.00
39.	चांदामेटा	आवास निर्माण अधोसंरचना	212	676.17
40.	मंदसौर	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	1250.00
41.	खरगौन	आवास निर्माण अधोसंरचना	200	491.00
42.	रीवा	आवास निर्माण अधोसंरचना	248	667.49

43.	सतना	आवास निर्माण अधोसंरचना	270	733.01
44.	सिंगरौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	300	733.33
45.	महिदपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	441	838.40
46.	सिंगोली	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	368.79
47.	डिकेन	आवास निर्माण अधोसंरचना	124	381.84
48.	अमरवाडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	657.01
49.	जीरापुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	145	400.00
50.	चौरई	आवास निर्माण अधोसंरचना	266	573.47
51.	पांढुरना	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	300.04
52.	जीरन	आवास निर्माण अधोसंरचना	126	377.20
53.	रतनगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	135	417.78
54.	तेंदूखेडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	256	675.00
55.	मल्हारगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	144	440.00
56.	पिपल्यामंडी	आवास निर्माण अधोसंरचना	88	273.00
		योग :–	**22998**	**37628.52**

परिशिष्ट–सात

यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनायें

स.क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)
1	2	3	4
1.	नगर पालिका विदिशा	जल प्रदाय योजना	1557.52
		सीवरेज योजना	218.00
		सडक निर्माण	73.58
2.	नगर पालिका गढ़ाकोटा	जल प्रदाय योजना	596.36
		सडक निर्माण	143.76
3.	नगर पालिका दमोह	जल प्रदाय योजना	874.20
		पाईप का जीर्णोद्धार	62.35
		गजानन क्षेत्र में पाईप का जीर्णोद्धार	130.17
		तालाब संरक्षण	53.00
		सडक निर्माण	418.97
4.	नगर पालिका टीकमगढ़	जल प्रदाय योजना	983.18
5.	नगर पालिका मलाजखंड	जल प्रदाय योजना	525.42
		नाला निर्माण	27.60
6.	नगर पालिका इटारसी	जल प्रदाय योजना	1467.83
		सीवरेज योजना	708.43
		सडक निर्माण	844.57
7.	नगर परिषद बुदनी	जल प्रदाय योजना	194.60
		सीवरेज योजना	195.05
8.	नगर पालिका जावरा	जल प्रदाय योजना	663.00
		सीवरेज योजना	294.25
9.	नगर परिषद रेहटी	सीवरेज योजना	143.48
		जल प्रदाय योजना	276.48
10.	नगर पालिका डबरा	जल प्रदाय योजना	1441.84
		जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
11.	नगर पालिका सीहोर	जल प्रदाय योजना	1454.52
12.	नगर निगम रतलाम	जल प्रदाय योजना	3265.10
13.	नगर निगम खण्डवा	जल प्रदाय योजना	10672.30
14.	नगर निगम देवास	जल प्रदाय योजना	5837.00
	नगर निगम देवास	जल प्रदाय योजना	3975.00
15.	नगर पालिका शिवपुरी	जल प्रदाय योजना	5964.66
16.	नगर पालिका रहली	जल प्रदाय योजना	602.35
17.	नगर पालिका छतरपुर	जल प्रदाय योजना	1593.80
18.	नगर पालिका ब्यावरा	जल प्रदाय योजना	709.47
19.	नगर निगम रीवा	जल प्रदाय योजना	1427.87
20.	नगर पालिका सिरोंज	जल प्रदाय योजना	622.95
21.	नगर पालिका सनावद	जल प्रदाय योजना	729.68
22.	नगर पालिका शुजालपुर	जल प्रदाय योजना	1745.32
23.	नगर पालिका मंदसौर	जल प्रदाय योजना	1552.45
24.	नगर पालिका पन्ना	जल प्रदाय योजना	1808.37
25.	नगर पालिका आष्टा	जल प्रदाय योजना	980.40
26.	नगर परिषद नरूल्लागंज	जल प्रदाय योजना	488.96

27.	नगर पालिका होशंगाबाद	जल प्रदाय योजना	1615.26
28.	नगर पालिका आगर	जल प्रदाय योजना	1005.80
29.	नगर निगम ग्वालियर	सीवरेज योजना	6650.00
30.	नगर पालिका शाजापुर	जल प्रदाय योजना	996.00
31.	नगर पालिका हरदा	जल प्रदाय योजना	1787.00
32.	नगर निगम सागर	सीवरेज योजना	7661.55
33.	नगर निगम कटनी	जल प्रदाय योजना	4080.95
34.	नगर पालिका पांढुरना	जल प्रदाय योजना	6443.79
		सडक निर्माण	2054.76
35.	नगर पालिका छिन्दवाडा	जल प्रदाय योजना	5732.87
36.	नगर पालिका डोंगरपरासिया	जल प्रदाय योजना	3013.33
		सडक निर्माण	1098.03
37.	नगर पालिका सौंसर	जल प्रदाय योजना	1930.22
		सडक निर्माण	2332.73
38.	नगर पालिका पिपरिया	जल प्रदाय योजना	2408.11
39.	नगर पालिका बैतूल	जल प्रदाय योजना	3262.07
40.	नगर पालिका मुलताई	जल प्रदाय योजना	1929.60
41.	नगर पालिका खुरई	जल प्रदाय योजना	3662.82
42.	नगर पालिका बीना इटावा	जल प्रदाय योजना	3875.50
43.	नगर परिषद पिपल्यानारायणवार	जल प्रदाय योजना	81.20
44.	नगर पालिका चौरई	जल प्रदाय योजना	886.38
		सडक निर्माण	189.17
45.	नगर पालिका सीधी	जल प्रदाय योजना	2118.55
46.	नगर परिषद खिरकिया	जल प्रदाय योजना	1225.70
47.	नगर पालिका महिदपुर	जल प्रदाय योजना	1683.75
48.	नगर पालिका जुन्नारदेव	सडक निर्माण	345.96
49.	नगर परिषद अमरवाडा	सडक निर्माण	424.16
		योग	**124931.20**

परिशिष्ट–आठ

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र0	निकाय का नाम	योजना का नाम	(राशि रू.लाख में
1	2	3	4
1	नगर परिषद् सुल्तानपुर	पेयजल योजना	681.50
2	नगरपालिका रायसेन	पेयजल योजना	3317.60
3	नगर परिषद् खिलचीपुर	पेयजल योजना	999.36
4	नगरपालिका मण्डीदीप	पेयजल योजना	1110.87
5	नगर परिषद् बाबई	पेयजल योजना	951.62
6	नगर परिषद् टिमरनी	पेयजल योजना	1923.58
7	नगरपालिका गंजबासौदा	पेयजल योजना	4216.00
8	नगर परिषद् नौरोजाबाद	पेयजल योजना	1581.00
9	नगर निगम रीवा	पेयजल योजना	2262.95
10	नगरपालिका शहड़ोल	पेयजल योजना	3614.19
11	नगर परिषद् गुढ	पेयजल योजना	793.00
12	नगर परिषद् टोकखुर्द	पेयजल योजना	484.15
13	नगर परिषद् उन्हेल	पेयजल योजना	1116.00
14	नगर परिषद् सुवासरा	पेयजल योजना	1767.75
15	नगर परिषद् ताल	पेयजल योजना	777.01
16	नगर परिषद् भौरासा	पेयजल योजना	698.24
17	नगर परिषद् करनावद	पेयजल योजना	950.22
18	नगर परिषद् नामली	पेयजल योजना	595.41
19	नगरपालिका बड़नगर	पेयजल योजना	1737.15
20	नगरपालिका नीमच	पेयजल योजना	3367.75
21	नगरपालिका अशोक नगर	पेयजल योजना	1326.71
22	नगर परिषद् खनियाधाना	पेयजल योजना	566.00
23	नगरपालिका धार	पेयजल योजना	2174.54
24	नगर परिषद् पंधाना	पेयजल योजना	998.00
25	नगर परिषद् भीकनगॉव	पेयजल योजना	760.93
26	नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	पेयजल योजना	898.25
27	नगरपालिका बड़वानी	पेयजल योजना	1990.05
28	नगर परिषद् कुक्षी	पेयजल योजना	1848.08
29	नगरपालिका झाबुआ	पेयजल योजना	3094.10
30	नगर परिषद् मुंदी	पेयजल योजना	578.92
31	नगर परिषद् बदनावर	पेयजल योजना	952.31
32	नगर परिषद् निवाडी	पेयजल योजना	2103.40
33	नगर परिषद् तरीचरकलां	पेयजल योजना	1493.03
34	नगरपालिका बालाघाट	पेयजल योजना	1883.00
35	नगरपालिका नरसिंहपुर	पेयजल योजना	3217.95

क्र0	निकाय का नाम	योजना का नाम	(राशि रू.लाख में
36	नगरपालिका मण्डला	पेयजल योजना	2471.17
37	नगर परिषद् डिण्डोरी	पेयजल योजना	843.00
38	नगर परिषद् सांवेर	पेयजल योजना	851.28
39.	नगर परिषद् बड़ौनी	पेयजल योजना	456.36
40.	नगर परिषद् सिंगौली	पेयजल योजना	891.42
41.	नगर परिषद् ओरछा	पेयजल योजना	578.23
42.	नगरपरिषद् अमरकंटक	पेयजल योजना	595.00
43	नगरपालिका नौगांव	पेयजल योजना	2780.67
44	नगरपालिका बेगमगंज	पेयजल योजना	1564.05
45	नगरपालिका सिवनीमालवा	पेयजल योजना	2286.19
46	नगर परिषद् खाचरौद	पेयजल योजना	1628.63
47	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	पेयजल योजना	1343.63
48	नगरपालिका पीथमपुर	पेयजल योजना	2766.99
49	नगरपालिका सबलगढ़	पेयजल योजना	2120.03
50	नगरपालिका सारंगपुर	पेयजल योजना	1353.08
51	नगरपालिका अम्बाह	पेयजल योजना	2721.45
52	नगर पालिका शामगढ़	पेयजल योजना	2331.00
53	नगर निगम सतना	पेयजल योजना	3232.12
54	नगर परिषद् जावद	पेयजल योजना	1108.26
55	नगर परिषद् सीतामऊ	पेयजल योजना	1676.72
56	नगर परिषद् पाली	पेयजल योजना	1169.33
57	नगर परिषद् त्यौथर	पेयजल योजना	1046.86
58	नगर परिषद् मक्सी	पेयजल योजना	1540.39
59	नगर परिषद् हनुमना	पेयजल योजना	1035.34
60	नगर परिषद् मझौली	पेयजल योजना	2155.88
61	नगरपालिका बैरसिया	पेयजल योजना	1745.98
62	नगरपालिका पलेरा	पेयजल योजना	1268.93
63	नगर परिषद् पथरिया	पेयजल योजना	2228.20
	योग		**102620.80**

परिशिष्ट–नौ

''परियोजना उदय'' के अंतर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्रं0	शहर	कार्य	विवरण
1	**भोपाल**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	भोपाल में जलप्रदाय सुदृढ़ीकरण कार्य के अंर्तगत विद्यमान 7 जल शोधन संयंत्र तथा 7 पम्पिंग स्टेशनों के पुर्नरोद्वार का कार्य, जल मात्रा की गणना हेतु 14 बल्क मीटर, 1908 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 5 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों, 02 सतही पानी की टंकियों का निर्माण तथा 240 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है। 110 से 1200 मि.मी. व्यास का 233.19 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाना तथा 100 से 600 मि.मी. व्यास का 6.88 कि.मी. फीडर मेन, एक सीवेज सम्पवेल का निर्माण, सीवेज उपचार उपरान्त 2.5 कि.मी. चैनल तथा रोड बनाना आदि के कार्य किया जाना । इसके अतिरिक्त अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत 543.36 किमी जल वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य व रेलवे क्रॉसिंग का कार्य किया जाना है।
		भौतिक प्रगति 31.12.2012	इन सभी कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत है। भोपाल में जलप्रदाय सुदृढ़ीकरण कार्य के अंर्तगत विद्यमान 7 जल शोधन संयंत्र तथा 7 पम्पिंग स्टेशनों के पुर्नरोद्वार का कार्य, जल मात्रा की गणना हेतु 14 बल्क मीटर व 1908 बल्क कन्जूमर मीटर लगाने, 5 उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण, 02 सतही पानी की टंकियों का निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 240 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने, 233.19 कि.मी. सीवर लाईन बिछाने एवं 6.88 कि.मी. फीडर मेन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया है। एक सीवेज सम्पवेल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। सीवेज उपचार उपरान्त 2.5 कि.मी. चैनल तथा रोड बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत 72.77 किमी जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा रेलवे क्रॉसिंग का कार्य प्रगतिरत है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2012 तक लगभग रू. 157.34 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
2	**ग्वालियर**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ग्वालियर में जलप्रदाय व्यवस्था हेतु 2 जल शोधन संयंत्र, 2 पम्प हाउसों के पुनरोद्वार का कार्य, 43 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेक वेल, जल शोधन संयंत्र का कार्य, 13.7 कि.मी. पम्पिंगमैन, 30.44 कि.मी. फीडर मेन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 25 बल्क मीटर, 1088 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 11 उच्चस्तरीय पानी की टंकियो, 4 सतही पानी की टंकियों का निर्माण, 307.54 कि.मी. जल वितरण प्रणाली विछाने तथा बरसाती पानी के निकास हेतु 15.21 किमी पाइप लाइन डालने व 9.52 किमी नालो का निर्माण कार्य सम्पादित किया जाना है।

			इसके अतिरिक्त अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत 6 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों, 13.82 किमी फीडर मेन, 7 किमी जल वितरण प्रणाली बिछाने व रेलवे क्रॉसिंग का कार्य किया जाना है। इन सभी कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत हैं।
		भौतिक प्रगति 31.12.2012	ग्वालियर में 2 जलशुद्धिकरण संयन्त्र तथा 2 शुद्धजल पम्पिंग स्टेशनों का जीर्णोद्धार कार्य, 43 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेक वेल एवं जल शोधन संयंत्र का कार्य, 13.62 कि.मी. पम्पिंगमैन व 30.23 कि.मी. फीडर मेन बिछाने का कार्य तथा 25 बल्क मीटर, 1075 बल्क कन्जूमर मीटर स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया। 11 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों, 4 सतही पानी की टंकियों का निर्माण, पूर्ण कर लिया गया है। 307.31 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बरसाती पानी के निकास हेतु 12.9 किमी पाइप लाइन डालने व 7.25 किमी नालो का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत 7.25 किमी फीडर मेन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2012 तक लगभग रू. 136.86 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है ।
3	**इन्दौर**	जलप्रदाय/ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	इन्दौर में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यमान 1 जल शोधन संयंत्र तथा 6 पम्पिंग स्टेशनों के पुर्नरोद्वार का कार्य, 900 एम.एल.डी. इनटेक वेल का निर्माण, 360 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र, 3 पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण, 64.10 किमी. पम्पिंगमैन, 82.16 किमी. ग्रेव्हीटी मैन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 76 मीटरों की स्थापना, देवगुडरिया सेनेटरी लैण्डफिल साइट तथा 21 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण किया जाना है। 679.85 कि.मी. जल वितरण नलिकाये बिछाने का कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत 6 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों व 7.9 किमी फीडर मेन बिछाने का कार्य किया जाना है। इन सभी कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत है।
		भौतिक प्रगति 31.12.2012	इन्दौर में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यमान 1 जल शोधन संयंत्र तथा 6 पम्पिंग स्टेशनों के पुर्नरोद्वार का कार्य, 900 एम.एल.डी. इनटेक वेल का निर्माण, 360 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र, 3 पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण , 63 कि.मी. पम्पिंगमैन , 72.04 किमी. ग्रेव्हीटी मैन को बिछाने का कार्य, कुल 76 मीटर स्थापित किये जाने, देवगुडरिया सेनेटरी लैण्डफिल साइट का कार्य एवं 21 उच्चस्तरीय टंकियो का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 674. 30 कि.मी. जल वितरण मेन को बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत 6 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों व 7.9 किमी फीडर मेन बिछाने का कार्य प्रगतिरत है।

		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2012 तक लगभग रू. 629.29 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
4	**जबलपुर**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	जबलपुर में परियट टैंक के स्पिल चैनल के सुदृढीकरण का कार्य करना, 220 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल, 120 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 2.42 कि.मी. लम्बाई की रॉ वाटर पम्पिंगमैन, जल मात्रा की गणना हेतु 8 बल्क मीटर, 527 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 7 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण, तथा 676.70 कि.मी. जल वितरण प्रणाली, 25 किमी फीडर मेन, बरसाती पानी के निकास हेतु 16 किमी नालो का निर्माण एवं कथोन्डा लैण्डफिल साइट का निर्माण कार्य सम्पादित किया जाना है। जल मल निकासीः 60.93 कि.मी. सीवर नेटवर्क विछाना व 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाट का निर्माण कार्य करना है। इसके अतिरिक्त अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत 5 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों, 01 सतही पानी की टंकी का निर्माण, 9.23 किमी फीडर मेन व 9.85 किमी जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य किया जाना है। इन सभी कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत है।
		भौतिक प्रगति **31.12.2012**	जबलपुर में परियट टैंक के स्पिल चैनल के सुदृढीकरण का कार्य करना, 220 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल, 120 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 2.42 कि.मी. लम्बाई की रॉ वाटर पम्पिंगमैन, जल मात्रा की गणना हेतु 8 बल्क मीटर, 527 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 7 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण, 573.77 कि.मी. जल वितरण प्रणाली तथा 24.51 किमी फीडर मेन बिछाने कार्य पूर्ण किया गया है। बरसाती पानी के निकास हेतु 4 किमी नालो तथा कथोन्डा लैण्डफिल साइट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 60.93 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाने तथा 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाट का कार्य पूर्ण किया गया है। अनकमिटेड फण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य प्रगतिरत है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2012 तक लगभग रू. 213.22 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अन्तर्गत संपन्न कार्य

क्र	कार्य	भौतिक उपलब्धि
1	ई–गवर्नेंस	1. इसके तहत प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को कम्प्यूटर सेट के साथ आवश्यक साफ्टवेयर एवं पेरिफेरल्स उपलब्ध कराये गये तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 2. निकायों द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस. आधारित मानचित्रों की सहायता से संपत्तियों के एकीकरण का डेटाबेस तैयार करने व संपत्तिकर एवं अन्य सेवा संदाय प्रणालियों के एकीकरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 3. क्षेत्रीय स्तर पर संपर्क हेतु 1000 ईमेल पतों के साथ विभाग की इंटरेक्टिव वेबसाईट का निर्माण किया गया है। 4. भोपाल नगर निगम में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रुप में लागू किया गया है। 5. इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वलियर नगर निगमों में सिटिजन सर्विस सेन्टर की स्थापना की गई है। 6. जबलपुर नगर निगम मे ''परफार्मेन्स मेनेजमेन्ट सिस्टम'' एवं रिकार्ड मेनेजमेन्ट सिस्टम का कार्य शुरु किया गया है। 7. सभी 14 नगर निगमों को टेलीसमाधान कॉल सेन्टर से जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत नागरिक नगर निगम सेवाओं से संबंधित शिकायतें टॉल फ्री नम्बर 155343 पर कर सकते है। 8. इंदौर नगर निगम में आटोमेटेड बिल्डिंग अप्रूवल प्लान सिस्टम (ABPAS) पद्धति लागू की गई है।
2	वित्तीय सुधार	1. भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर सहित सभी नगरनिगमों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कार्य, कर संपत्ति के अभिलेखों को अद्यतन करने, लेखा एवं वित्तीय नियम निर्मित करने, सम्पत्तिकर, उपभोक्ता शुल्कों, सेवा प्रभार के युक्तियुक्तकरण हेतु मापदण्ड तय कर उन्हें लागू करने व निगमों के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु आदर्श प्रक्रियाओं का मेनुअल तैयार कराया गया है। 2. भोपाल, इन्दौर ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों में लेखा सुधार प्रणाली की सथापना के तहत 1 अप्रेल 2007 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंश शीट तैयार की जा चुकी है तथा फायनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कराये गये है। 3. भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगमों को बैलेंशशीट तैयार करने हेतु नियमित रुप से तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। 4. प्रदेश के 11 नगर निगमों जबलपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, सतना, रीवा, सिंगरौली एवं कटनी में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत प्रोजेक्ट तेयार करने हेतु कन्सलटेन्ट फर्म की नियुक्ति की गई है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं डाक्युमेन्ट तैयार कराये गये है। 5. नगर निगम कटनी देवास, रतलाम सतना, बुरहानपुर, खण्डवा सागर,एवं उज्जैन में दोहरी लेखा प्रणाली के लिए तकनीकी सहायता प्रदाय करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की नियुक्ति कर तथा प्रारंभिक बैलेंशशीट एवं फायनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कराये गये है। नगर निगम रीवा, सिंगरौली, की प्रारंभिक बैलेंस शीट तैयार कराई गई है।

क्र	कार्य	भौतिक उपलब्धि
3	सामाजिक विकास	1. परियोजना के अन्तर्गत 167 गंदी बस्तियों का चयन किया जा चुका है, जिनमें मूलभूत अधोसंरचना विकास का कार्य किया गया है। 2. चार शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित गंदी बस्तियों में रहने वाले 7200 शहरी गरीबों को रोजगार देने संबंधी उन्नति कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसमें 200 लाभार्थियों को प्रशिक्षणोपरांत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 3. गंदी बस्ती अधिसूचित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये है। 4. गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का आकलन एवं उसे सुधार करने के उपाय के संबंध में अध्ययन कराया गया है। 5. प्रदेश के चार बड़े नगर निगमों में चयनित गंदी बस्तीयों में सामुदायिक विकास एवं स्वच्छता के लिए एजेन्सी की नियुक्ति की गई है। समुदाय की भागीदारी द्वारा 2048 शौचालय का निर्माण किया गया है। 6. प्रदेश के 9 नगर निगमों ग्वालियर, देवास, रीवा, रतलाम, बुरहानपुर, कटनी, सिंगरौली, सतना एवं सागर में सी.डी.पी. तैयार की गई है। 7. गन्दी बस्ती क्षेत्रों में सामाजिक बुराईयों, घरेलू/महिला हिंसा अशिक्षा दूर करने आदि क्षेत्रों में समुदाय द्वारा कम्युनिटी इनिसिएटिव फण्ड (सी.आई.एफ.) के माध्यम कार्य लिये गये है। जिसमें सांयकालीन कक्षा, बाल पालिका एवं बालवाचनालय शामिल है। 8. 119 बस्ती विकास सम्मितियों का पंजीयन तथा 88 बस्ती विकास सम्मितियों के बैंक खाते खोले गए हैं। 9. चार शहरों में 170 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है। 10. इंदौर में गंदी बस्ती सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण संपूर्ण तथा राजीव आवास योजना के नियोजन का आधार तैयार किया गया है। 11. भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में गन्दी बस्ती सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। 12. अन्य आठ शहरों में बहुउद्देशीय सर्वे का कार्य किया गया है।
4	नगरीय सुशासन हेतु पहल	1. भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में मल्टीपरपरज हाउसहोल्ड सर्वे एवं इंदौर नगर निगम में सोशियो–इकॉनामिक सर्वे का कार्य किया गया है। 2. Service Level Benchmarking (SLB) – 14 नगर निगमों तथा 96 नगर पालिकाओं (कुल 110 नगर) द्वारा प्रदान की जा रही चार सेवाओं – जलप्रदाय, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा ड्रेनेज के 28 संकेतक सुविधाओं की वर्तमान उपलब्धता का मापन कार्य तथा आगामी वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं में सुधार के लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं। 3. भोपाल, इन्दौर एवं उज्जैन नगर के ''इन्फार्मेशन सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट प्लान'' को भारत शासन के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। 4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिये विभागीय ''एकीकृत मानक दर सूची'' तैयार की गई है। 5. नगर पालिक निगमों में कार्यरत स्वास्थ्य संरक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

5. अयोध्या बस्ती योजना

5.1 प्रदेश के शहरों में स्थित गंदी बस्तियों के समन्वित विकास के लिये अयोध्या बस्ती योजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में किया गया था, जिसमें गंदी बस्तियों का चयन निकाय और कलेक्टर के समन्वय से किया जाता था ।

5.2 योजना के अन्तर्गत चयनित अयोध्या बस्तियों में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युत पोल्स, सोडियम लैम्प, वेपर लैम्प, ट्यूब लाईट एवं बल्व लगाने का कार्य, ट्यूबवेल खनन का कार्य, स्वास्थ्य शिविर, पौढ़ शिक्षा कक्षायें, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण संबंधी कार्य किये जाते थे ।

5.3 योजना के अन्तर्गत वर्तमान में उपरोक्त कार्य मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत किये जाते हैं ।

12. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्प का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए दिनांक 29.01.2013 को मुख्यमंत्री निवास पर केश शिल्पी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें केश शिल्पियों के कल्याण के लिये केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013 लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

5. स्थानीय निकाय सेवा दिवस

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवम्बर को स्थानीय निकाय सेवा दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया है । इस अवसर पर प्रदेश की समस्त नगरीय निकायें अपने–अपने क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके अन्तर्गत समस्त कर्मचारी निर्धारित गणवेश में, समस्त उपकरणों, वाहनों तथा अन्य साजो–सामान का चल प्रदर्शन करते हैं। इस चल प्रदर्शन में संबंधित निकाय के महापौर/अध्यक्ष तथा आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं ।

5.2 स्थानीय निकाय सेवा दिवस को संबंधित निकायों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण विकास कार्यो का प्रदर्शन किया जाता है तथा संध्याकाल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।